

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 387

(साथ में 2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 396; 2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 501; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 388; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 401; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 404; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 413; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 462; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 465; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 481; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 497; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 500; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 505; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516; 2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516)

16 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर आईपीसी की धारा 379, 406, 411, 420 के तहत दंडनीय अपराधों और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम नियमावली, 2019) के नियमों के उल्लंघन के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाती है या नहीं?

हेडनोट्स

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 4, 14—बिहार लघु खनिज समनुदान नियम, 1972—नियम 11, 40—बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2003—नियम 3—बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2019—धारा 29 सी, 29 एफ, 30, 39, 41, 46, 47, 50, 51 एवं 59—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 378, 379, 406, 411, 420—नियम 11(ए) नियम, 1972 के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बंदोबस्ती की गई—नीलामी में दिए गए प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती याचिकाकर्ताओं को दी गई वर्ष 2015 में पांच वर्षों की अवधि के लिए—याचिकाकर्ताओं की बंदोबस्ती समय-समय पर बढ़ाई गई—विस्तारित अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं उठाया गया—लाइसेंस सरेंडर करने के तुरंत बाद, ई-चालान का निर्माण बंद कर दिया गया—एफआईआर दर्ज होने की तारीख से बहुत पहले यानी 3 से 4 महीने पहले, याचिकाकर्ताओं को बालू घाटों के कब्जे से बेदखल कर दिया गया, जो बंदोबस्त के तहत उनके पास थे और उन बालू घाटों पर कब्जा लेने के बाद, बालू को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय एसएचओ और संबंधित अंचल अधिकारियों/खनन विभाग को कब्जा दे दिया गया—एफआईआर के माध्यम से उठाया गया आरोप कि एफआईआर दर्ज होने की तिथि पर, वास्तव में वहां जो बालू पाया गया था, वह परियोजना निगरानी इकाई के आंकड़ों में उससे कम था और इसे ठीक से संरक्षित और कवर नहीं किया गया था, बिना धारकों के नाम, विवरण और बिक्री मूल्य का उल्लेख किए।

निर्णीत: एफआईआर के अनुसार ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता अवैध और अत्यधिक खनन में शामिल थे या उन्होंने अनुमत क्षेत्र से परे रेत का उत्खनन किया था—एफआईआर दर्ज करने से बहुत पहले रेत को जब्त कर लिया गया था और स्थानीय पुलिस और सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया था—स्टॉक को सरेंडर

करने के बाद, बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से उन स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए थे और आगे आत्मसमर्पण के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को स्टॉक प्वाइंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था और यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि कोई चोरी न हो—विवाद भी दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है क्योंकि विस्तारित अवधि के लिए भुगतान न किए गए रॉयल्टी राशि की वसूली के लिए, संबंधित अधिकारी/प्रतिवादियों ने बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत प्रमाण पत्र मामला दायर किया था—याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया है—मामला भजन लाल के मामले के स्वर्णिम मार्गदर्शक सिद्धांत संख्या 1, 2, 3, 5 और 7 के अंतर्गत आता है—याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी एफआईआर रद्द कर दी गईं और इसके सभी परिणामी कार्यवाही के साथ अलग रख दी गईं—याचिका स्वीकार की गई।
(पैराग्राफ 84, 85, 86, 94 से 97)

न्याय दृष्टान्त

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335—भरोसा किया गया।; मेसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2018(4) पीएलजेआर 706; जयंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 2 एससीसी 670; सालिब उर्फ शालू उर्फ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 947; उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी, एआईआर 2005 एससी 359; दिल्ली राज्य (एनसीटी) बनाम संजय, (2014) 9 एससीसी 772; विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929; अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य, (2005) 10 एससीसी 228; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईआरसी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य, (2006) 6 एससीसी 736; विनोद नटेसन बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2019) 2

एससीसी 401; एचएमटी वॉचेस बनाम एम. ए. आबिदा एवं अन्य, (2015) 11 एससीसी 776; रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2010) 7 एससीसी 1; मीर नागवी असकरी बनाम सीबीआई, (2009) 15 एससीसी 643; ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (2014) 2 एससीसी 1; एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल, (2023) 6 एससीसी 1; अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 6 एससीसी 384; मोनिका बेदी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2011 ईश्वरलाल गिरधारीलाल पारेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1969 453-457 एससी 40; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वेंकटेशन एस., (2002) 5 एससीसी 285; राजीव कौरव बनाम बाईसाहब, (2020) 3 एससीसी 317; स्वर्ण सिंह बनाम राज्य, (2008) 8 एससीसी 435; बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, एआईआर 1991 एससी 1260—संदर्भित किया गया।; मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 540/2019; आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1233/2021- प्रति इन्व्यूरीयम किया गया।

अधिनियमों की सूची

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2019, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914।

मुख्य शब्दों की सूची

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण 'एसईआईआईए', रॉयल्टी राशि, उत्खनन, अवैध रेत खनन, आत्मसमर्पित का बंदोबस्त।

प्रकरण से उत्पन्न

अवैध रेत खनन से संबंधित विभागों द्वारा कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 387 और इसके अनुरूप मामलों में)

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता; श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता; श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता; सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता; सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

ईडी के लिए: श्री ज़ोहैब हुसैन, विशेष वकील; श्री मनोज क्र. सिंह, विशेष अ.लो.अ.; श्री प्रभात कुमार सिंह, विशेष अ.लो.अ.; श्री प्रांजल त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री हुसैन।

प्रतिवादी-राज्य के लिए: श्री पी.के. वर्मा, एएजी-तृतीय; श्री डॉ. मंकेश्वर तिवारी, एसी से एएजी-III; श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-VII

खान विभाग के लिए: श्री नरेश दीक्षित, विशेष अ.लो.अ.; श्री कुमार हर्षवर्द्धन, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 387

थाना कांड संख्या-689 वर्ष-2021 थाना- बिहटा जिला- पटना से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, पुत्र-स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला - भोजपुर (आरा) में है, जो गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, पोस्ट- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला - पश्चिमी चंपारण का निवासी है।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बिहटा थाना, पटना, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार।
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना, बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 396

थाना कांड संख्या-260 वर्ष-2020 थाना- रानियातालाब जिला- पटना, से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत
 निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,
 कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला - भोजपुर (आरा) में है, इसके निदेशक, अशोक
 कुमार उम्र लगभग 65 वर्ष, पुत्र- राम चंद्र साव, निवासी गांव/मोहल्ला- परेओ, पोस्ट-
 बिहटा, जिला - पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, रानी तालाब थाना, पटना, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, पटना, बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 501

थाना कांड संख्या-864 वर्ष-2020 थाना- बिहटा जिला- पटना से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना - कोइलवर, जिला - भोजपुर (आरा) में है, इसके निदेशक,

अशोक कुमार उम्र लगभग 65 वर्ष, पुत्र- राम चंद्र साव, निवासी गांव/मोहल्ला - परेओ, थाना बिहटा, जिला- पटना के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, सरकार के माध्यम से बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
2. प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना बिहार
5. प्रभारी पदाधिकारी, बिहटा थाना, पटना बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, पटना बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 388

थाना कांड संख्या-179 वर्ष-2021 थाना-संदेश जिला-भोजपुर से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत

निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, सरकार बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार के माध्यम से
2. प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, संदेश थाना, भोजपुर, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर, बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 401

थाना कांड संख्या-183 वर्ष-2021 थाना- चांदी जिला- भोजपुर, से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत
निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,
कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद,
निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया
मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य धारा गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
2. प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, चंडी थाना, भोजपुर बिहार
6. मुख्य धारा गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार सचिव, खान एवं
भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड,
पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 404

थाना मामला संख्या-1018 वर्ष-2020 थाना- डेहरी टाउन जिला- रोहतास से उत्पन्न
 =====
 सदाशिव प्रसाद सिंह उर्फ सदाशिव प्रसाद उर्फ सदाशिव सिंह पुत्र- मालेश्वर सिंह
 निवासी- 410, गणेशालय अपार्टमेंट, झारूडीह, कार्मेल स्कूल के पास, मटकुरिया,
 धनबाद, झारखंड 826001

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतास बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डेहरी थाना, रोहतास बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, रोहतास बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रोहतास बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 413

थाना मामला संख्या-115 वर्ष-2021 थाना- इमादपुर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, इमादपुर थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, भोजपुर बिहार

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 462

थाना मामला संख्या-335 वर्ष-2021 थाना पालीगंज जिला-पटना से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत
 निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,
 कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत
 हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद,
 निवासी गांव/मोहल्ला-100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया
 मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, पालीगंज थाना, पटना बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना बिहार

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 465

थाना मामला संख्या-247 वर्ष-2021 थाना- डोरीगंज जिला- सारण से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला-100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, सरकार के माध्यम से बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
2. प्रमुख सचिव, गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. महानिदेशक पुलिस, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, डोरीगंज थाना सारण, छपरा बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, सारण बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 481

थाना मामला संख्या-540 वर्ष-2021 थाना- बरहरा जिला- भोजपुर से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम-100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, बरहरा थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार

7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर बिहार

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 497

थाना मामला संख्या-302 वर्ष-2021 थाना- दिघवारा जिला- सारण से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला-100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, दिगवारा थाना, सारण, छपरा बिहार

6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी, सारण बिहार

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 500

थाना मामला संख्या-456 वर्ष-2021 थाना- कोइलवर जिला- भोजपुर से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला भोजपुर (आरा), निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी डाकघर पिपरा पकड़ी, थाना - बेतिया मुफस्सिल, जिला - पश्चिमी चंपारण में है।

... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से। बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार

4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, कोइलवर थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड पटना, बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर बिहार।

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 505

थाना मामला संख्या-261 वर्ष-2021 थाना-अवतारनगर जिला- सारण से उत्पन्न।

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला-100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से

2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, औतार नगर थाना, सारण, छपरा बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार विकास भवन बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सारण बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508

थाना मामला संख्या-464 वर्ष-2021 थाना- छपरा मुफ्फसिल जिला- सारण से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्पेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला भोजपुर (आरा) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी ग्राम/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी चंपारण के माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, गृह बिहार सरकार पुराना सचिवालय, पटना बिहार
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, मुफस्सिल थाना, सारण, छपरा, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन बेली रोड, पटना।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार विकास भवन, बेली रोड, पटना।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, सारण, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सारण, बिहार

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516

थाना मामला संख्या-181 वर्ष-2021 थाना- रानियातालाब जिला- पटना से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है। निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला- पश्चिमी चंपारण।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, रानी तालाब थाना, पटना, बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना, बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना, बिहार

... उत्तरदाता/ओं

=====

साथ में

2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 545

थाना मामला संख्या-209 वर्ष-2021 थाना- सहार जिला- भोजपुर से उत्पन्न

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संतोष कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष (पुरुष), पुत्र- स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद, निवासी गांव/मोहल्ला 100, पिपरा पकड़ी, डाकघर- पिपरा पकड़ी, थाना- बेतिया मुफस्सिल, जिला- पश्चिमी चंपारण

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, गृह, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर बिहार
5. प्रभारी अधिकारी, सहार थाना, भोजपुर बिहार
6. प्रधान सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
7. सहायक निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार
8. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर बिहार
9. खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर बिहार

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(2022 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 387 और इसके अनुरूप मामलों में)

याचिकाकर्ताओं के लिए

:

श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता

सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

ईडी के लिए

:

श्री जोहैब हुसैन, विशेष वकील

श्री मनोज क्र. सिंह, विशेष अ.लो.अ.

श्री प्रभात कुमार सिंह, विशेष अ.लो.अ.
 श्री प्रांजल त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री हुसैन।
 प्रतिवादी-राज्य के लिए : श्री पी.के. वर्मा, एएजी-तृतीय
 डॉ. मंकाश्वर तिवारी, एसी से एएजी-III
 श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, जीए-VII
 खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष अ.लो.अ.
 श्री कुमार हर्षवर्द्धन, अधिवक्ता

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

सीएवी निर्णय

दिनांक : 16-05-2025

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सूरज समदर्शी, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जी.ए.-VII श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, खनन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नरेश दीक्षित और भारत संघ/ई.डी. की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष वकील श्री जोहैब हुसैन को सुना गया।

2. संबंधित रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

(i) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387 वर्ष 2022	(I) भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 39 और 56 के तहत कथित अपराधों के लिए 17.09.2021 को पंजीकृत बिहटा थाना मामला संख्या 689/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। (ii) प्रतिवादियों को बिहटा थाना मामला संख्या 689/2021 के अनुसरण
--	---

	में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक और उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। (iii) माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। (iv) मुकदमे की लागत तथा याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। (v) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसका वह हकदार पाया जा सकता है।
(ii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 396/2021	(I) याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 34 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 के नियम 11, 29 (सी) और 56 के तहत कथित अपराधों के लिए 30.11.2020 को दर्ज रानीतालाब थाना केस संख्या 260/2020 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें कानून का कोई अधिकार नहीं है। ii) प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे रानीतालाब थाना मामला संख्या 260/2020 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध

	कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv) याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत और उसे हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार हकदार पाया जा सकता है।
(iii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 501/2021	(i) याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 11, 29 (सी) और 56 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 22 के तहत कथित अपराधों के लिए दिनांक 03.12.2020 को दर्ज बिहटा थाना कांड संख्या 864/2020 को इस आधार पर निरस्त करने के लिए प्रमाणिक प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। (ii) प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे बिहटा थाना केस संख्या 864/2020 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। (iii) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। (iv) याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत और उसे हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना।

	(v) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।
(iv) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388 वर्ष 2022	(i) दिनांक 18.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 378/379/411 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 39(3) और 56 के तहत दर्ज संदेश थाना केस संख्या 179/2021 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना (गलती से प्राथमिकी में बिहार खनिज संशोधन नियम 2021 के रूप में उल्लेख किया गया है) इस आधार पर कि यह पूरी तरह से अवैध है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। (ii) प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे संदेश थाना केस संख्या 179/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। (iii) यह माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। (iv) याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत और नुकसान और क्षति के लिए याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा प्रदान करना। (v) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जा सकता है।

(v) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401 वर्ष 2022	i. भारतीय दंड संहिता की धारा 379, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 के नियम 39 (3)/56 (जिसे प्राथमिकी में बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) अधिनियम 2021 की धारा 15 के रूप में गलत उल्लेख किया गया है) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत पंजीकृत चांदी थाना कांड संख्या 183/2021 दिनांक 18.09.2021 को इस आधार पर निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और किसी कानूनी अधिकार के बिना है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे चंडी थाना केस संख्या 183/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। iv. याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत और नुकसान और क्षति के लिए याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा देने के लिए। v. कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करने के लिए जो याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।
(vi) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या	i. भारतीय दंड संहिता की धारा 379/406/420, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध

404 वर्ष 2022	खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2019 (गलती से बीएमसीसी नियमावली 2019 के रूप में उल्लेखित) के नियम 56 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए 29.12.2020 को डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओ.पी.) थाना मामला संख्या 1018/2020 को निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, इस आधार पर कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादियों को प्रथम पीठ को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओपी) थाना केस संख्या 1018/2020 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
(vii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 413 वर्ष 2022	i. धारा 379 भारतीय दंड संहिता और नियम 1,12, 13, 15/39 (3) और 56 बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) संशोधन नियम 2021 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत इमादपुर थाना केस संख्या 115/2021 दिनांक 23.09.2021 को रद्द करने के लिए

	प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, इस आधार पर कि यह पूरी तरह से अवैध है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। ii. प्रतिवादियों को इमादपुर थाना केस संख्या 115/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाने का आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
(viii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 462 वर्ष 2022	i. दिनांक 16.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 378/379/411 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3)/56 (जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलती से बीएमसीसी नियम 2021 के रूप में उल्लेखित किया गया है) के अंतर्गत पंजीकृत पालीगंज थाना कांड संख्या 335/2021 को इस आधार पर निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है तथा किसी कानूनी अधिकार

	के बिना है। ii. प्रतिवादियों को प्रथम दृष्टया आदेश या निर्देश जारी कर पालीगंज थाना केस संख्या 335/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कदम न उठाने का आदेश दिया जाए। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसका याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जा सकता है।
(ix) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 465 वर्ष 2022	i. दिनांक 18.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 39(3) के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज डोरीगंज थाना केस संख्या 247/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे डोरीगंज थाना मामला संख्या 247/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के

	खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. कोई अन्य राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार हकदार पाया जा सकता है।
(x) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481 वर्ष 2022	i. धारा 379 भारतीय दंड संहिता और नियम 39 (3)/2021 बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के तहत पंजीकृत बरहारा थाना केस संख्या 540/2021 दिनांक 18.09.2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे बरहारा थाना केस संख्या 540/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए

	याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार हकदार पाया जा सकता है।
(xi) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 497 वर्ष 2022	i. दिनांक 16.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379/420 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 के नियम 39(3) के अंतर्गत दर्ज दिगवारा थाना केस संख्या 302/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे दिगवारा थाना केस संख्या 302/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को

	कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
(xii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 500 वर्ष 2022	i. 378/379/411 भारतीय दंड संहिता और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) संशोधन नियम, 2019 के नियम 39(3)/56 के तहत पंजीकृत कोइलवर थाना केस संख्या 456/2021 दिनांक 18.09.2021 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, इस आधार पर कि यह पूरी तरह से अवैध है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे कोइलवर थाना केस संख्या 456/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जा सकता है।
(xiii) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या	i. बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2019 की धारा 188/420/379 भारतीय दंड संहिता नियम 39(3) के अंतर्गत दिनांक 16.09.2021 को पंजीकृत

505 वर्ष 2022	औतार नगर थाना केस संख्या 261/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादियों को औतार नगर थाना केस संख्या 261/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक और उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
(xiv) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508 वर्ष 2022	i. दिनांक 18.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 411/379 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली 2019 के नियम 39(3) के अंतर्गत पंजीकृत मुफस्सिल थाना कांड संख्या 464/2021 को इस आधार पर निरस्त करने के लिए प्रमाणिक प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है तथा इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादी प्रथम पक्ष को मुफस्सिल थाना कांड संख्या 464/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कदम न

	उठाने का आदेश देते हुए प्रमाणिक प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
(xv) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516 वर्ष 2022	i. दिनांक 17.09.2021 को धारा 378/379/411 भारतीय दंड संहिता और नियम 39 (3) और 56 बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 (गलती से प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिहार खनन रियायत अवैध खनन की रोकथाम और परिवहन और भंडारण नियम 2021 के रूप में उल्लेख किया गया है) के तहत दर्ज रानीतालाब थाना केस संख्या 181/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और कानून के किसी भी अधिकार के बिना है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे रानीतालाब थाना मामला संख्या 181/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता

	है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुए नुकसान और क्षति के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना/प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार हकदार पाया जा सकता है।
(xvi) आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 545 वर्ष 2022	i. दिनांक 19.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) संशोधन नियम, 2021 के नियम 39(3) और 56 के अंतर्गत पंजीकृत सहार थाना केस संख्या 209/2021 को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि यह पूरी तरह से अवैध है और इसमें किसी कानूनी अधिकार का अभाव है। ii. प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में आगे उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि वे सहार थाना केस संख्या 209/2021 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाएं। iii. यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। iv. मुकदमे की लागत और याचिकाकर्ता को हुई हानि और क्षति के

	लिए उचित मुआवजा प्रदान करना। v. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना।
--	--

3. इन मामलों पर निर्णय देने से पहले, इन मामलों की कानूनी पृष्ठभूमि को इंगित करना उचित होगा।

4. इन मामलों की विस्तार से सुनवाई के बाद, इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने 28.09.2022 को निर्णय सुरक्षित रख लिया, लेकिन निर्णय सुनाए जाने से पहले, 02.11.2022 को, न्यायालय को **मेसर्स ब्रॉड सन क्मोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** के मामले में अपने पूर्व निर्णय (2018(4) PLJR706 में रिपोर्ट किए गए) और **जयंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2021) 2 SCC 670 में रिपोर्ट किए गए, **दिल्ली राज्य (NCT) बनाम संजय** के मामले में (2014) 9 SCC 772 में रिपोर्ट किए गए निर्णय मिले, जिनका न्यायनिर्णयन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए, पक्षकारों के विद्वान वकील को ऊपर उल्लिखित निर्णयों के संदर्भ में न्यायालय को संबोधित करने का अवसर दिया गया।

5. 04.11.2022 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने **संजय (उपरोक्त)** और **जयंत (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अपने पहले के विचार को दोहराया कि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है और इस स्तर पर इन मामलों की जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान समन्वय पीठ ने **मिथिलेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य** (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 540/2019) और **आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1233/2021 (आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम**

बिहार राज्य और अन्य) के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य विद्वान समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत होने में असमर्थता व्यक्त की, जिसका निपटारा 07.04.2022 को हुआ।

6. न्यायालय की विविध राय को कानून और इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुरूप बनाने के लिए, इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने इन मामलों को निम्नलिखित मुद्दों पर खंडपीठ को संदर्भित किया:-

(i) क्या एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 22 को 2019 के नियम 56 के साथ पढ़ा जाए, ताकि खनन योजना से परे या उसके विपरीत क्षेत्र से नदी तल से रेत की खुदाई और पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन करने के मामले में लाइसेंसधारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि के अपराध करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाई जा सके, नियम 56 के उप-नियम (7) के तहत खंड (v) और संजय और जयंत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर।

(ii) क्या प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस प्वाइंट से रेत की कथित चोरी से बिक्री और इस तरह राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि और याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाने के मामले की पुलिस द्वारा धारा 379, 411, 406 और 420 भा.दं.सं के तहत अपराध के लिए पुलिस मामला दर्ज करके जांच की जा सकती है?

(iii) क्या मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1233/2021) के मामले में विद्वान समन्वय पीठों के निर्णय समान शक्ति वाली पीठ के पहले के निर्णय

पर ध्यान न देने के कारण कानून का सही कथन न देने के कारण अनुचित हैं?

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के पश्चात, इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 09.02.2024 के आदेश द्वारा पैरा-26 में उल्लिखित संदर्भ का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया:-

“26. तदनुसार, हम अपने समक्ष प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(i) खनन योजना से परे या उसके विपरीत क्षेत्र से नदी तल से रेत की खुदाई करने तथा पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन करने के मामले में, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चोरी आदि जैसे अपराधों के आरोप लगाते हुए लाइसेंसधारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 22 के साथ 2019 के नियम 56 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(ii) प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना स्टॉक लाइसेंस प्वाइंट से रेत की कथित चोरी से बिक्री तथा राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि पहुंचाने तथा याचिकाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 406, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है तथा जांच अधिकारी को इसकी जांच करने की छूट है।

(iii) मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1233/2021) के मामले में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को प्रति दायित्व कहा जा सकता है

क्योंकि ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले के निर्णय का हवाला नहीं दिया गया और उस पर विचार नहीं किया गया।”

8. डिवीजन बेंच द्वारा संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद, मामले को विशेष रूप से सुनवाई के लिए इस न्यायालय को सौंप दिया गया।

9. अब, एकमात्र प्रश्न जिस पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि दिए गए तथ्य और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भा.दं.सं की धारा 379, 406, 411, 420 के तहत दंडनीय अपराधों और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियम, 2019 की रोकथाम) के नियमों के उल्लंघन के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाती है या नहीं।

10. दिनांक 20.02.2025 के आदेश द्वारा, न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, तथा अपना विचार व्यक्त किया कि प्रवर्तन निदेशालय (संक्षेप में 'ईडी') के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का अनुपात, जो 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 में रिपोर्ट किया गया है, केवल पीएमएलए अधिनियम के मामले के संबंध में न्यायालय के लिए उपलब्ध मार्गदर्शक कानूनी नोट है, और, इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय को कम से कम एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करके सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सुनवाई का अवसर किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिकूल नहीं होगा, बल्कि इस तरह का कोई भी इनकार प्रवर्तन निदेशालय के लिए प्रतिकूल होगा, जो व्यापक अर्थों में वर्तमान अपराध (अनुसूचित अपराध) की सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है और इस तरह राष्ट्रीय

सामाजिक-आर्थिक हित के खिलाफ है, जिस पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 का मामला आधारित है।

याचिकाकर्ता ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित प्राथमिकी		
केस नंबर	प्राथमिकी	आरोप
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 501 वर्ष 2021	बिहटा थाना कांड संख्या 864 वर्ष 2020, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 22, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 11, 29 (सी), 56 के अंतर्गत पंजीकृत	आरोप है कि जब चिल्का टोला रेतघाट के उत्खनन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि रेत का उत्खनन ई.सी. क्षेत्र के बाहर किया गया था। निरीक्षण दल ने उत्खनन किए गए गड्ढों की माप ली और पाया कि 56,500 सीएफटी रेत ई.सी. क्षेत्र के बाहर किया गया था और इससे सरकारी खजाने को 16,53,045 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387 वर्ष 2022	बिहटा थाना कांड संख्या 689/2021 धारा 379, 411 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3) और 56 के साथ	पांचों के-लाइसेंस स्थानों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान स्टॉक और पी.एम.यू. रिपोर्ट में 431950 सीएफटी बालू का अंतर पाया गया, पाया गया कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू की बिक्री की है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू की बिक्री की है और फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। सभी स्थानों पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या

		और बालू की दर वाले साइनबोर्ड नहीं लिखे थे। इससे सरकारी खजाने को 1,73,94,607/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 396 वर्ष 2021	रानीतालाब थाना मामला संख्या 260/2020 दिनांक 30.11.2020 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं की धारा 379 और 34 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 के नियम 11, 29 (सी) और 56 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया।	आरोप है कि निर्धारित सीमा से बाहर खनन करना एसईआईएए द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों और खनन योजना तथा 2019 नियमावली के नियम 11 और 29(सी) का उल्लंघन है और नियम 56 के तहत दंडनीय है। आरोप है कि राज्य सरकार को 17,47,260 रुपये का नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388 वर्ष 2022	संदेश थाना मामला संख्या 179/2021 धारा 378, 379, 411 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 के साथ	दो के-लाइसेंस स्थानों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन और पी.एम.यू. रिपोर्ट में 20590 सीएफटी बालू का अंतर पाया गया। पाया गया कि लाइसेंस धारक ने प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना बालू बेचा है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू बेचा है और फार्म-जे में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं

		पाया गया। सभी स्थानों पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या और बालू की दर वाले साइनबोर्ड नहीं लिखे थे। इससे सरकारी खजाने को 08,23,600/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401 वर्ष 2022	चंडी थाना मामला संख्या 183/2021, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत पंजीकृत है।	के-लाइसेंस स्थान पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन और पी.एम.यू. रिपोर्ट में 13500 सीएफटी बालू का अंतर पाया गया। पाया गया कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू की बिक्री की है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू की बिक्री की है और फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। सभी स्थानों पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या और बालू की दर वाले साइनबोर्ड नहीं लिखे थे। इससे सरकारी खजाने को 05,40,000/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 404 वर्ष 2022	डेहरी नगर (इंद्रपुरी ओ.पी.) थाना कांड संख्या 1018/2020 दिनांक 29.12.2020 को भा.दं.सं	आरोप है कि निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि घाट संचालक भोला यादव रात में अवैध खनन में लिस है।

	की धारा 379/406/420 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 56	आरोप है कि डीएम रोहतास के निर्देशानुसार ज़ापांक 2185 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार निविदा की शर्तों के उल्लंघन के कारण खनन कार्य को स्थगित कर दिया गया है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 413 वर्ष 2022	इमादपुर थाना कांड संख्या 115/2021 धारा 379 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 1, 12, 13, 15, 39(3) और 56 के साथ	दो के-लाइसेंस स्थानों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान भौतिक एवं पी.एम.यू. रिपोर्ट में 295350 सी.एफ.टी. बालू का अंतर पाया गया। पाया गया कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू की बिक्री की है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू की बिक्री की है तथा फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। सभी स्थानों पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या एवं बालू की दर अंकित साइनबोर्ड नहीं था। इससे

		सरकारी खजाने को 01,18,14,000/- रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 462 वर्ष 2022	पालीगंज थाना कांड संख्या 335/2021 धारा 378, 379/411 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 के साथ	के-लाइसेंस स्थान पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान स्टॉक और पी.एम.यू. रिपोर्ट में अंतर पाया गया। पाया गया कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू की बिक्री की है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने बालू की बिक्री चोरी-छिपे की है तथा फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या और बालू की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा था। सरकारी खजाने को हुई राजस्व हानि का उल्लेख नहीं किया गया है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 465 वर्ष 2022	डोरीगंज थाना कांड संख्या 247/2021 धारा 379/411, 420 भा.दं.सं सहपठित बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3) के अंतर्गत पंजीकृत	पांचों के-लाइसेंस स्थानों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक पी.एम.यू. की रिपोर्ट में उल्लेखित स्टॉक से काफी कम था, अतः आरोप है कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू बेचा है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू बेचा है तथा फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। सभी स्थानों पर नाम,

		भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या तथा बालू की दर वाले साइनबोर्ड नहीं लिखे थे। इससे (i) 7,78,38,614/-, (ii) रु.10,26,10,683/-,(iii) 15,42,37,116/-, (iv) 01,06,03,495/-,(v) 01,54,61,475/-,(vi) 01,71,49,073/- रुपये की सरकारी खजाने में राजस्व हानि हुई है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 481 वर्ष 2022	बरहरा थाना कांड संख्या 540/2021 धारा 379 भा.दं.सं के अंतर्गत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 के साथ	के-लाइसेंस स्थान पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान स्टॉक और पी.एम.यू. रिपोर्ट में 55950 सीएफटी बालू का अंतर पाया गया। पाया गया कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए बालू बेचा है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे बालू बेचा है और फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस नंबर और बालू की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा था। इससे सरकारी खजाने को 22,38,000 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 497 वर्ष	दिघवारा थाना कांड संख्या 302/2021 धारा 379, 420 भा.दं.सं सहपठित	के-लाइसेंस स्थान पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दो लाइसेंस स्थानों में से के-7/21 स्थान

2022	बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3) के अंतर्गत पंजीकृत	पर 61915 सीएफटी रेत पीएमयू की रिपोर्ट में उल्लिखित मात्रा से अधिक थी, जिससे कथित रूप से पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने अवैध रूप से रेत निकाली है और एक स्थान (के-12/21) पर मात्रा कम थी, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना रेत बेची है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने रेत को चोरी-छिपे बेचा है और फॉर्म-जे में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। स्थान पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस संख्या और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा था। इससे सरकारी खजाने को क्रमशः 26,41,913/- और 1,24,73,807/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 500 वर्ष 2022	कोइलवर थाना कांड संख्या 456/2021 धारा 378, 379, 411 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3) और 56 के साथ	इस मामले में कुल सात के-लाइसेंस स्पॉट शामिल हैं। के-लाइसेंस स्थानों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर रेत बहुत कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना रेत बेची है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने रेत को चोरी-छिपे बेचा है और फॉर्म-जे में रजिस्टर

		विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। उस स्थान पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस नंबर और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को 13,36,70,320 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 505 वर्ष 2021	अवतार नगर थाना मामला संख्या 261/2021 धारा 188, 420, 379 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3) के साथ	इस मामले में कुल तीन के-लाइसेंस स्थलों का निरीक्षण किया गया। दोनों के-लाइसेंस स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान अलग-अलग स्थलों पर रेत काफी कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए रेत बेची है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर पी.एम.यू. रिपोर्ट में दी गई रिपोर्ट से अधिक रेत पाई गई, जिससे पता चलता है कि अवैध खनन किया गया है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने चोरी-छिपे रेत बेची है और फार्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस नंबर और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को क्रमशः 3,30,49,195/-, 01,10,43,423/- और 03,72,96,525/- रुपये की

		राजस्व हानि हुई है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 508 वर्ष 2022	मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 464/2021 बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2019 की धारा 379, 411 भा.दं.सं सहपठित नियम 39(3) के अंतर्गत पंजीकृत	इस मामले में के-लाइसेंस स्थान पर स्टॉक की जांच के दौरान रेत पीएमयू की रिपोर्ट के अनुसार काफी कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने प्रीपेड ई-चालान जारी किए बिना रेत बेची है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने रेत को चोरी-छिपे बेचा है और फॉर्म-जे में रजिस्टर विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। जगह पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस नंबर और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को 2,37,07,452/- रुपये का राजस्व घटा हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516 वर्ष 2022	रानी तालाब थाना कांड संख्या 181/2021 धारा 378, 379, 411 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 के साथ	इस मामले में कुल अठारह के-लाइसेंस स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-लाइसेंस स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थलों पर रेत काफी कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने बिना प्रीपेड ई-चालान जारी किए रेत बेची है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने रेत को चोरी-छिपे बेचा है और फॉर्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। स्थल पर नाम, भूमि का

		विवरण, लाइसेंस संख्या और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को 07,48,88,106/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 545 वर्ष 2022	सहार थाना कांड संख्या 209 वर्ष 2021 धारा 379 भा.दं.सं के तहत पंजीकृत बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम 2019 के नियम 39(3), 56 के साथ	इस मामले में दो के-लाइसेंस स्थलों का निरीक्षण किया गया। के-लाइसेंस स्थलों पर स्टॉक के निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थलों पर रेत बहुत कम पाई गई, जिससे पता चलता है कि लाइसेंस धारक ने बिना ई-चालान जारी किए रेत बेची है। आरोप है कि लाइसेंस धारक ने रेत को चोरी-छिपे बेचा है और फॉर्म-जे में रजिस्टर भी विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया। मौके पर नाम, भूमि का विवरण, लाइसेंस नंबर और रेत की दर वाला साइनबोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इससे सरकारी खजाने को 93,60,000 रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।

11. सबसे पहले, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्राथमिकी के माध्यम से लगाए गए मुख्य आरोप ज्यादातर एक जैसे हैं, इसलिए, पटना जिले में पंजीकृत बिहटा थाना केस संख्या 864/2020 से संबंधित आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार

मामला संख्या 501/2021 में की गई दलीलों को संदर्भित किया जा रहा है और इन मामलों के तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए विचार किया जा रहा है।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2014 में आयोजित नीलामी के क्रम में सम्पूर्ण पटना, भोजपुर एवं सारण जिले के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक इकाई के रूप में बंदोबस्ती की गई थी। उक्त बंदोबस्ती पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 2015 से 2019 तक के लिए थी। उक्त पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् याचिकाकर्ता की बंदोबस्ती प्रथम दृष्टया 01.01.2020 से 31.10.2020 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद, दूसरी बार निपटान को 01.11.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद 01.01.2021 से 31.03.2021 तक एक और तीसरा विस्तार दिया गया और अंत में चौथा और अंतिम विस्तार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक बंदोबस्तकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को दिया गया। यह बताया गया कि विभिन्न प्राथमिकी के माध्यम से उठाए गए मूल आरोप यह थे कि अनुमत क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया गया था, जिसके कारण सरकार को इस तरह के कृत्य के कारण नुकसान हुआ है। आरोप बंदोबस्तकर्ता यानी ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ लगाया गया है।

13. श्री समदर्शी ने दलील दी कि पूरी प्राथमिकी केवल अनुमानों पर आधारित है, क्योंकि इसके अवलोकन से याचिकाकर्ता की कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ चोरी का कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई विशेष आरोप नहीं है। दलील दी गई कि अनुमान के आधार पर, चूंकि याचिकाकर्ता के पट्टे वाले क्षेत्र के निकट कुछ गड्ढे पाए गए थे, इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से खुदाई करने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए याचिकाकर्ता को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता क्योंकि

उनकी उपस्थिति ऊपर प्रस्तुत किए गए समझौते को आगे बढ़ाने में वैध थी। दलील दी गई कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के किसी प्रतिनिधि को पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर अवैध खुदाई में शामिल या लिस रंगे हाथों पकड़ा हो। कथित घटना के स्थान से याचिकाकर्ताओं से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक सामान जैसे पोकलेन, जेसीबी, ट्रक आदि नहीं मिले या जब्त नहीं किए गए। यह भी बताया गया है कि बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 59(2) तथा तलाशी एवं जब्ती के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 100 (4) एवं 100(5) का अनुपालन भी नहीं किया गया है, जिससे पूरा आरोप संदेहास्पद हो जाता है। संबंधित प्राथमिकी में यह खुलासा नहीं किया गया है कि यह किसी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, यहां तक कि दो स्थलों का कथित निरीक्षण भी किसी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में नहीं किया गया था। इसलिए, किसी निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में, अनुमत क्षेत्र से परे अवैध खनन के आरोप केवल अन्यथा प्रेरित आरोप हैं।

14. श्री समदर्शी ने आगे कहा कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (संक्षेप में 'एसईआईआईए') द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र में पर्यावरण अधिकारियों द्वारा भू-निर्देशांक निर्धारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई अभियोजन हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईआईए) द्वारा पत्र संख्या 439 दिनांक 23.12.2016 (अनुलग्नक-9 से प्रथम अनुपूरक शपथ पत्र) के तहत "चिल्का टोला" रेत घाट के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है।

15. श्री समदर्शी ने आगे कहा कि बिहार लघु खनिज समनुदेशन नियमावली, 1972 के नियम 11(ए) के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किया गया बंदोबस्त पूरे

जिले को कवर कर रहा था, जिससे यह पता चलता है कि खनन योजना या पर्यावरण मंजूरी भले ही छोटे क्षेत्र की हो, लेकिन पर्यावरण मंजूरी क्षेत्र के बाहर मौजूद खनिज क्षमता भी बंदोबस्त अवधि के दौरान राज्य की संपत्ति नहीं है। ऐसे में पूरे जिले के लिए किए गए बंदोबस्त के लिए उत्खनन मंजूरी क्षेत्र से बाहर खनन को भी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है और इसे अवैध खनन नहीं माना जा सकता।

16. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पटना जिले के लिए पूरी रॉयल्टी का भुगतान किया, जहां “चिल्का टोला” बालू घाट के लिए पर्यावरण मंजूरी की सीमा 8,77,504/- टन प्रति वर्ष थी, जिसे याचिकाकर्ता ने कभी समाप्त नहीं किया और इसलिए, यदि यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता ने 96,500 सीएफटी (3860 मीट्रिक टन) बालू का उत्खनन किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि पर्यावरण मंजूरी का कोई उल्लंघन किया गया था, क्योंकि यह सीमा के भीतर है और साथ ही प्रतिवादियों को किसी भी तरह का राजस्व नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि इस आरोप के साथ भी, यह बालू की चोरी का मामला नहीं है।

17. आगे बताते हुए श्री समदर्शी ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं ने अनुमेय क्षेत्र के बाहर रेत का खनन किया है, तो भी अधिकतम यह अतिरिक्त खनन का मामला है, जिसके लिए याचिकाकर्ता नई रेत नीति के परिशिष्ट 2 के खंड 5, अधिसूचना संख्या 2887 दिनांक 22.07.2014 के परिशिष्ट 2 खंड 6(vii), कैलेंडर वर्ष 2015 के कार्य आदेशों के खंड 11(xv), कैलेंडर वर्ष 2015 के समझौते के भाग III के खंड 22 और 2019 नियमों के नियम 29(बी)3((ii) और नियम 51(7) के आलोक में अतिरिक्त देयता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यहां तक कि 2019 नियमों के नियम 56(3) में भी सुझाव दिया गया है कि किसी भी अनधिकृत खनन के लिए सरकार केवल रॉयल्टी वसूलने के लिए उत्तरदायी है।

18. आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने जिले से गुजरने वाली नदी के पूरे हिस्से का बंदोबस्त कर लिया है, जिसके लिए नियम 26(1)9बी) और 1972 नियम की अनुसूची II के अनुसार नीलामी राशि का भुगतान किया गया था। यह बताया गया है कि बालू नीति, 2013 और बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के अनुसार याचिकाकर्ता को खनन योजना तैयार कर उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना था। खनन योजना के आधार पर याचिकाकर्ता को एसईआईएए द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई थी, जिसमें वह विशेष क्षेत्र निर्धारित किया गया था, जहां से याचिकाकर्ता बालू का उत्खनन कर सकता था। यह सीमांकन एक विशेष स्थान पर नदी की खनिज क्षमता के आधार पर किया गया था। यदि मानसून, अत्यधिक वर्षा आदि कई कारकों के कारण किसी विशेष घाट की खनिज क्षमता कम हो जाती है, तो याचिकाकर्ता संशोधित नई खनन योजना स्वीकृत कराने और नए क्षेत्र के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का हकदार था और इसलिए, पटना जिले के लिए खनन योजना को संशोधित किया गया और 13 नए बालू घाटों के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी दी गई। संशोधित नई खनन योजना की स्वीकृति पत्र संख्या 16 दिनांक 02.01.2019 (अनुलग्नक-12 श्रृंखला/द्वितीय अनुपूरक हलफनामा) में निहित है।

19. प्रस्तुत है कि उपर्युक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों में यदि कोई उल्लंघन होता है तो वह बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 के नियम 30 एवं नियम 47 के अंतर्गत आता है।

20. इस संदर्भ में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भले ही अनुमत पर्यावरणीय निकासी क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया हो, लेकिन कलेक्टर को बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम, 2019 के नियम 30 के अनुसार याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। कलेक्टर को बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण)

नियम, 2019 के नियम 47 के तहत बंदोबस्ती को निलंबित या रद्द करने का भी अधिकार दिया गया था। हालांकि, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीधे तौर पर वर्तमान आपराधिक मुकदमा दायर किया गया।

21. यह बताया गया है कि नियम 29 (सी) के उल्लंघन के मामले में बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम, 2019 का नियम 30 भी लागू होता है, जिसमें प्रावधान है कि बंदोबस्तधारी को खनन योजना की शर्तों के साथ-साथ पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का भी पालन करना होगा।

22. श्री समदर्शी ने दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि जब याचिकाकर्ता वितीय कठिनाइयों के कारण काम नहीं कर सके, तो उन्होंने सरकार के साथ बंदोबस्त का अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया, जिसके बाद, पूरे घाट संबंधित पुलिस स्टेशनों/प्रतिवादी (खनन विभाग) के कब्जे में आ गए। यह बताया गया कि पांच साल तक किसी भी अवैध खनन का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन जिस समय याचिकाकर्ताओं ने वितीय कठिनाइयों के कारण लाइसेंस सरेंडर किया, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चोरी की कई प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि विवादित रेत याचिकाकर्ताओं के कब्जे में नहीं थी, इसलिए, चोरी, धोखाधड़ी या विश्वासघात के रूप में कोई भी कथित अपराध प्रथम दृष्टया नहीं लगता है और इसलिए, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि 1992 के अनुपूरक (1) एससीसी 335 में रिपोर्ट किया गया है, वर्तमान प्राथमिकी को रद्द/अलग रखा जाना चाहिए।

23. श्री समदर्शी ने आगे कहा कि जब भी कोई अभियुक्त प्राथमिकी या उससे उत्पन्न किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय में जाता है, तो ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए गुप्त या परोक्ष उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को प्राथमिकी को ध्यान से और थोड़ा और बारीकी से देखना चाहिए और

न्यायालय के लिए केवल प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखना ही पर्याप्त नहीं होगा कि कथित अपराधों के लिए आवश्यक कानूनी तत्व प्रकट किए गए हैं या नहीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही के मामले में, न्यायालय को मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली अन्य परिस्थितियों को भी देखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उचित सावधानी और सतर्कता के साथ, पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **सलीब @ शालू @ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 947 में रिपोर्ट किया गया है।

24. श्री समदर्शी ने आगे कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते, परिस्थितियों को समझते हुए, याचिकाकर्ताओं ने 2019 में दर्ज **आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6890** के माध्यम से इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अधिकारियों को अवैध खनन और रेत के परिवहन को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन के लिए तुरंत उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें मुख्य रूप से अवैध खनन को रोकने के लिए चेक पोस्ट की स्थापना और चालान की पहचान करने के लिए जिले के बंदोबस्तियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती शामिल है, जिसके आधार पर परिवहन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन जारी रहा, जो याचिकाकर्ताओं को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का एक कारण था, जिससे उन्हें 2021 में लाइसेंस सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अवैध खनन को रोकने के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठाए, जिसमें पुलिस और अधिकारियों को सूचना देना, रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट लगाने में प्रशासन की

सहायता करना और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई कुछ प्राथमिकी को आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 के साथ अनुलग्नक-26 शृंखला के चौथे पूरक हलफनामे में संलग्न किया गया है।

25. इस संदर्भ में, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कोविड-19 के दौरान अवैध खनन लगातार चलन में है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को वास्तविक बंदोबस्तधारी होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। याचिकाकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित मंदी और चार पहिया ट्रकों द्वारा बालू परिवहन पर रोक के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा। उपरोक्त कारणों से खनन गतिविधि जारी रखना अव्यवहारिक हो गया और इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.04.2021 के पत्र के माध्यम से पटना, भोजपुर और सारण जिले में बालू घाटों की अपनी बंदोबस्ती 01.05.2021 से वापस कर दी।

26. बताया गया है कि बंदोबस्ती सरेंडर करने के बाद खनन विभाग के पोर्टल पर ई चालान बनाने का काम 01.05.2021 से निलंबित/अवरुद्ध कर दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-ट्रांजिट चालान न केवल सेकेंडरी लोडिंग बालू घाटों के लिए बल्कि के-लाइसेंस साइटों के लिए भी बंद कर दिया गया था। यह भी बताया गया है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते, याचिकाकर्ताओं ने पत्र दिनांक 10.06.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में अनुलग्नक-7) के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, पटना को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, पत्र दिनांक 09.06.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388/2022 में अनुलग्नक-7) के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और पत्र दिनांक 10.06.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 465/2022 में अनुलग्नक 9) के माध्यम से खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सारण को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें

अनुरोध किया गया कि K-लाइसेंस साइटों पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाए और याचिकाकर्ता को वहां से बालू बेचने की अनुमति दी जाए।

27. यह बताया गया है कि उपरोक्त अनुरोध के बावजूद, कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को के-लाइसेंस साइटों पर रेत स्टॉक बेचने की अनुमति नहीं दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि के-लाइसेंस साइटों पर स्टॉक की गई रेत का असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने सीजेएम पटना के समक्ष 11.06.2021 को सूचनात्मक याचिका दायर की (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में अनुलग्नक 8)। भोजपुर में, ऐसी सूचनात्मक याचिका 21.06.2021 को दायर की गई थी (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388/2022 के अनुलग्नक 8)। सारण में ऐसी सूचनात्मक याचिका 09.06.2021 को दायर की गई थी (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 465/2022 के अनुलग्नक 8)।

28. आगे यह भी कहा गया है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते याचिकाकर्ताओं ने नियम 46 (2) के अनुसार के-लाइसेंस साइटों के लिए मासिक रिटर्न दाखिल किया। मई 2021 के महीने के लिए दाखिल रिटर्न के अनुसार, रिट आवेदन के अनुलग्नक-9 के अनुसार पटना में के-लाइसेंस साइटों पर कुल 80,82,250 सीएफटी रेत उपलब्ध थी। इसी तरह, भोजपुर के लिए के-लाइसेंस साइटों पर कुल 44,82,250 सीएफटी रेत उपलब्ध थी। (अनुलग्नक 9 आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 388/2022)। इसी तरह, सारण में कुल 1,81,76,650 सीएफटी रेत उपलब्ध थी (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 465/2022 में पृष्ठ संख्या 90 पर अनुलग्नक 11)।

29. श्री समदर्शी ने आगे बताया कि उपरोक्त घटनाक्रम में खनन विभाग के निदेशक ने दिनांक 10.07.2021 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर"

(आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में अनुलग्नक-10) में एक नोटिस जारी किया, जिसमें आम जनता को बिहार के विभिन्न जिलों में के-लाइसेंस धारकों के पास बालू की उपलब्धता के बारे में सूचित किया गया और ऐसे के-लाइसेंस धारकों से सीधे बालू खरीदने के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया गया। पटना जिले में के-लाइसेंस स्थलों पर उपलब्ध बालू की कुल मात्रा 86,98,550 सीएफटी बताई गई, जो मासिक रिटर्न के अनुसार बालू की कुल मात्रा से अधिक थी। भोजपुर जिले में के-लाइसेंस स्थलों पर उपलब्ध बालू की कुल मात्रा 45,22,475 सीएफटी बताई गई, जो मासिक रिटर्न के अनुसार बालू की कुल मात्रा से अधिक थी। सारण जिले में K लाइसेंस साइटों पर उपलब्ध रेत की कुल मात्रा 1,86,25,325 CFT बताई गई थी, जो मासिक रिटर्न के अनुसार रेत की कुल मात्रा से भी अधिक थी। इस प्रकार, 10.07.2021 तक रेत की कोई कमी नहीं थी।

30. बताया जाता है कि अचानक उप निदेशक, खनन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 261 दिनांक 07.07.2021 के तहत पटना के 34 के-लाइसेंस रद्द कर दिए गए। उप निदेशक, खनन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 264 दिनांक 08.07.2021 के तहत भोजपुर के 15 के-लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1223 दिनांक 24.07.2021 के तहत सारण जिले में 13 के-लाइसेंस रद्द कर दिए गए तथा वहां पड़े स्टॉक को खनन विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। उक्त के-लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद के-लाइसेंस स्थलों पर स्टॉक किए गए बालू को पत्र संख्या 1557 दिनांक 11.07.2021 के तहत औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया। भोजपुर में, के-लाइसेंस साइटों पर स्टॉक की गई रेत को औपचारिक रूप से पत्र संख्या 3000 दिनांक 12.07.2021 के तहत जब्त कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, के-लाइसेंस साइटों को रद्द करने और रेत को जब्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने के-लाइसेंस साइटों पर स्टॉक की गई रेत पर नियंत्रण और कब्जा खो दिया।

31. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि के लाइसेंस स्थलों पर रेत जब्त करने के बाद खान विभाग ने पत्र संख्या 3007 दिनांक 15.07.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में तीसरे पूरक शपथ पत्र के अनुलग्नक 24), पत्र संख्या 1557 दिनांक 11.07.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में तीसरे पूरक शपथ पत्र के अनुलग्नक-25) के अनुसार देखभाल और सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशनों और राजस्व अधिकारियों को रेत सौंप दी थी, जिसे भोजपुर और पटना में क्रमशः पुलिस स्टेशनों और सर्कल अधिकारियों को चिह्नित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त रेत को सुरक्षित रखा जाए।

32. श्री समदर्शी ने आगे कहा कि के लाइसेंस स्थलों पर सभी बालू पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, इसलिए कलेक्टर, पटना ने पत्र संख्या 1592 दिनांक 14.07.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 का अनुलग्नक 12) जारी किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा पटना में बालू घाटों की बंदोबस्ती को सरेंडर करने को स्वीकार कर लिया गया और शेष बंदोबस्ती अवधि के लिए 80,48,58,604/- रुपये की पूर्व मांग को सेकेंडरी लोडिंग क्षेत्र और के-लाइसेंस स्थलों से जब्त 1,29,56,870 सीएफटी बालू (4027 रुपये प्रति 100 घन फीट की दर से) की कीमत से कम कर दिया गया और 25,000 रुपये की नई मांग जारी की गई। 28,30,85,450/-, जो इस तथ्य की स्वीकृति है कि के लाइसेंस साइटों और द्वितीयक लोडिंग क्षेत्रों को रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, अन्यथा समायोजन का कोई अवसर नहीं था।

33. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि खनन विभाग ने सभी रेत को जब्त करने और याचिकाकर्ताओं के के-लाइसेंस को रद्द करने के बाद जुलाई महीने से रेत बेचना शुरू कर दिया, जो पत्र संख्या 614 दिनांक 04.09.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 के अनुलग्नक-13) से स्पष्ट है, जिसके तहत

खनन विभाग के निदेशक द्वारा अधिकारियों को जब्त रेत की बिक्री में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत पटना में 02.09.2021 को के-लाइसेंस साइटों पर जब्त रेत की मात्रा 80,78,650 सीएफटी दिखाई गई, भोजपुर में के-लाइसेंस साइटों पर रेत की मात्रा 45,09,675 सीएफटी दिखाई गई और सारण में के-लाइसेंस साइटों पर रेत की मात्रा 1,80,48,625 सीएफटी दिखाई गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि पत्र संख्या 2614 दिनांक 04.09.2021 में उल्लिखित रेत की मात्रा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मासिक रिटर्न में उल्लिखित मात्रा के लगभग बराबर थी।

34. प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि बसने वालों/याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अधिकृत स्थलों से कोई चोरी नहीं की गई थी और रेत की भी चोरी नहीं की गई थी, जो विभिन्न के-लाइसेंस स्थलों और द्वितीयक स्थलों पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे में थी। यह बताया गया है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में अचानक, 10-15 दिनों के भीतर रेत की भारी हेराफेरी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त सभी प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रस्तुत किया गया है कि जब उपरोक्त दस्तावेज, जो कि स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं, यह सुझाव देते हैं कि चोरी की गई रेत याचिकाकर्ताओं के कब्जे से नहीं थी, तो चोरी के अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना *प्रथम दृष्टया* नहीं बनता है और यह गुप्त और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया गया है।

35. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री समदर्शी ने आगे प्रस्तुत किया कि "के"-लाइसेंस साइट पर स्टॉक की गई रेत पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और यह बात याचिकाकर्ताओं द्वारा खनन विभाग से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी से भी स्थापित हुई है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि के-लाइसेंस साइट पर स्टॉक की गई रेत पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, जो पत्र संख्या 1996 दिनांक 18.08.2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 के अनुलग्नक-

19) से स्पष्ट है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किया है और मई 2021 तक रिटर्न दाखिल किया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि कैपिंग प्रदान किए जाने के बाद रेत का परिवहन किया जाता है। खनन विभाग ने पत्र क्रमांक 3598 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से, जैसा कि अनुलग्नक 23 श्रृंखला (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में द्वितीय अनुपूरक शपथ पत्र) के रूप में संलग्न है, स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि के-लाइसेंस साइट से वैध ई-चालान पर रेत का परिवहन किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त रॉयल्टी देय नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है कि ई-चालान के आधार पर रेत घाट से के-लाइसेंस साइट तक रेत का परिवहन किया जाता है। आगे बताया गया है कि पत्र क्रमांक 3596 दिनांक 18.08.2023 जिसमें खनन विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि के-लाइसेंस साइटों से स्टॉक की गई रेत चोरी हो जाती है, तो यह कंपनी के लिए नुकसान के बराबर होगा।

36. प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी मुख्य रूप से इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि निरीक्षण के दौरान के-लाइसेंस स्थलों पर स्टॉक की गई रेत पीएमयू डेटा से कम पाई गई थी, जो सही स्थिति नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 01.05.2021 से बंदोबस्त सरेंडर कर दिया था और इसलिए उसी तारीख से के-लाइसेंस का निर्माण बंद कर दिया गया था। हालांकि, चार महीने से अधिक की देरी के बाद सितंबर में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जहां माना जाता है कि पुलिस और खनन विभाग ने जुलाई, 2021 के महीने से के-लाइसेंस स्थलों को जब्त कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। यह भी बताया गया है कि तेरह प्राथमिकी में से केवल दो प्राथमिकी यानी बिहटा थाना केस संख्या 689/2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022) और रानी तालाब थाना केस संख्या 181/2021 (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 516/2022) में कथित निरीक्षण की तारीख बताई गई है,

जबकि अन्य प्राथमिकी में निरीक्षण की तारीख भी उपलब्ध नहीं है, जिससे पूरा घटनाक्रम संदिग्ध और निराधार हो गया है।

37. उपरोक्त के मद्देनजर, विभिन्न प्राथमिकी के माध्यम से लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण अवधि के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाए गए प्रतीत होते हैं।

38. उपरोक्त के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि बिहार राज्य ने बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रमाण पत्र मामले भी दर्ज किए हैं, जिसमें के-लाइसेंस साइटों से कथित रूप से गलत तरीके से रेत की कीमत वसूलने की मांग की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता की कथित देयता प्रकृति में सिविल है।

39. श्री समदर्शी ने दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने आपराधिक विविध संख्या 8423/2023 के माध्यम से आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ को अग्रिम जमानत प्रदान की है, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.05.2023 के आदेश के तहत खान निदेशक का यह पक्ष दर्ज किया है कि स्टॉक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया था और बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से बालू बेचने के लिए कदम उठाए गए थे। यह भी दर्ज किया गया कि खान विभाग के विद्वान वकील और खनन विभाग के निदेशक ने कहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें स्टॉक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, वे भी घटना में शामिल हो सकते हैं।

40. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 411 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी समय कोई चोरी की संपत्ति मिली है, जबकि भा.दं.सं की धारा 420 के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी में कहीं भी ऐसा कोई कथन नहीं है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू से ही धोखाधड़ी के इरादे से धोखाधड़ी की है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब याचिकाकर्ता 2015 से बसे हुए थे और छह साल तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

41. अपने उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो **अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे (2005) 10 एससीसी 228 में रिपोर्ट किया गया है, **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईआरसी इंडिया लिमिटेड और अन्य** को (2006) 6 एससीसी 736 में रिपोर्ट किया गया है और **विनोद नटेसन बनाम केरल राज्य और अन्य** को (2019) 2 एससीसी 401 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान वकील ने **उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी** की कानूनी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसे **एआईआर 2005 एससी 359** में रिपोर्ट किया गया है और **एचएमटी वॉचेस बनाम एमए आबिदा और अन्य** को (2015) 11 एससीसी 776 में रिपोर्ट किया गया है।

खान विभाग की ओर से तर्क (प्रतिवादी संख्या 6 से 9):

42. खान विभाग और पूर्वोक्त प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री नरेश दीक्षित ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विभिन्न अनुलग्नकों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज न तो प्राथमिकी का हिस्सा थे और न ही आरोप-पत्र का हिस्सा थे, क्योंकि मामले के दृष्टिकोण से, उन दस्तावेजों/अनुलग्नकों को भारत के संविधान की धारा 226

और 227 के तहत वर्तमान कार्यवाही में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उन दस्तावेजों को केवल साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है और उन्हें केवल परीक्षण के दौरान ही देखा जा सकता है। यह बताया गया है कि रिट कोर्ट विचारण न्यायालय का कर्तव्य नहीं मान सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 299/2022 के माध्यम से उत्तर दिए गए संदर्भ के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मामलों में प्राथमिकी बनाए रखने योग्य है। इसलिए, यह न्यायालय केवल यह देख सकता है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* कोई मामला बनाते हैं या नहीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1919/2017 और 10/2018 में पहले ही खारिज कर दिया है कि प्राथमिकी को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा** के मामले में, जिसे **एआईआर 1991 एससी 1260** में रिपोर्ट किया गया, यह देखा कि माननीय न्यायालय ने परिस्थितियों के तहत कानून के तहत प्रदान की गई जांच और परीक्षण की प्रक्रिया को रोकने और समाप्त करने का अधिकार क्षेत्र नहीं लिया होगा।

43. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित हैं और, इसलिए, उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तन विभाग (ईडी) की ओर से प्रस्तुत तर्क:

44. इस न्यायालय ने प्रवर्तन विभाग को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचाने के लिए दिनांक 20.02.2025 के अपने आदेश के तहत वर्तमान मामले में सुनवाई के लिए पक्षकार के रूप में शामिल किया है।

45. इस पर।

46. प्रवर्तन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष वकील श्री जोहैब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि भा.दं.सं की धारा 420, 406, 379 के तहत दंडनीय अपराधों और बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के नियम 40 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2003 के नियम 3 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'पीएमएलए अधिनियम') के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

47. सर्वप्रथम, श्री जोहैब हुसैन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में उठाए गए तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन प्रतीत होते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित नागरिक को उपलब्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

48. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** और **पेप्सी फूड लिमिटेड (उपरोक्त)** के अनुपात को वर्तमान तथ्य और परिस्थितियों के लिए लागू नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10/2018 में, याचिकाकर्ता प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा है। हालांकि, प्राथमिकी में उल्लिखित आरोपों का अवलोकन करने से पता चलता है कि उनकी जांच की जानी चाहिए और इस स्तर पर, रिट अधिकार क्षेत्र में बैठा यह न्यायालय उन सामग्रियों का वजन करने में न्यायसंगत नहीं होगा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने रिट आवेदनों के अनुलग्नकों के माध्यम से लाया है। इस मामले में जांच मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। परिणामस्वरूप यह न्यायालय:-

“26. आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10/2018 में याचिकाकर्ता प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा है। हालांकि, प्राथमिकी में उल्लिखित आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि उनकी जांच की जानी चाहिए और इस स्तर पर यह न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र में बैठकर उन सामग्रियों का मूल्यांकन करने में न्यायसंगत नहीं होगा जो याचिकाकर्ता द्वारा रिट आवेदनों और प्रत्युत्तर के अनुलग्नकों के माध्यम से लाई गई हैं। मामले में जांच में ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

27. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को आरोपित आदेशों और प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है जो दोनों रिट आवेदनों में चुनौती का विषय हैं। इसलिए, इन रिट आवेदनों को अंतरिम आवेदन के साथ खारिज किया जाता है।”

49. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा करते समय, दिल्ली राज्य (एनसीटी) बनाम संजय पर भरोसा किया गया था, जिसे (2014) 9 एससीसी 772 में रिपोर्ट किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद द्वारा आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1910 / 2017 और आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10 / 2018 में दिनांक 05.10.2018 को पारित निर्णय, जैसा कि पूर्वोक्त है, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10602 और 10596 / 2018 में चुनौती दी गई थी, जिसे वापस ले लिया गया था।

50. श्री हुसैन द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि सिगौड़ी थाना केस संख्या 2/2018 के संबंध में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 540/2019, भगवानगंज थाना केस संख्या 2/2018 के संबंध में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 676/2019, धनरुआ थाना केस संख्या 7/2018 के संबंध में आपराधिक रिट

क्षेत्राधिकार मामला संख्या 693/2019 और नौबतपुर थाना के केस नंबर 718/2019 के संबंध में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 718/2019 से निपटते समय, जिसमें भा.दं.सं की धारा 420, 406, 379 सहपठित 34 के साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'एमएमडीआर अधिनियम'), बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 (संक्षेप में '1972 नियम') के नियम 40, 21 और 22 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (संक्षेप में '1968 अधिनियम') की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, को माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एक विद्वान समन्वय पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया।

51. इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामलों की सुनवाई करते समय, आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1910/2017 में पारित दिनांक 05.10.2018 के पूर्व निर्णय और दिनांक 05.10.2018 के एसएलपी आदेश को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया, जैसा कि आदेश से प्रतीत होता है, जबकि वकील वही थे।

52. श्री हुसैन द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि डेहरी टाउन थाना कांड संख्या 407/2021 के संबंध में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1233/2021 भा.दं.सं की धारा 379, 411, 420 और 409 तथा बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 39(2), 39(3) और 56(2) के अंतर्गत पंजीकृत एक मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और दिनांक 07.04.2022 के आदेश के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मिथिलेश कुमार सिंह के निर्णय अर्थात् दिनांक 26.08.2019 के आदेश पर भरोसा करते हुए उक्त प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

53. इस संदर्भ में, यह भी बताया गया है कि बारुण थाना के संबंध में आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 299/2022। बिहार खनिज (रियायत, अवैध

खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम, 2019 के नियम 11, 39 और 56 के साथ धारा 379, 411, 420 भा.दं.सं के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत मामला संख्या 318/2021 इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"51. इस स्तर पर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत यह दलील कि चूंकि ये याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी हैं, इसलिए उनके मामले में चोरी, चोरी की गई संपत्ति के हस्तांतरण, आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी का आरोप झूठ नहीं होगा, खारिज किए जाने योग्य है। यदि कोई लाइसेंसधारी लाइसेंस की आड़ में ई.सी. अनुमत क्षेत्र से बाहर बड़े और गहरे गड्ढे बनाकर नदी तल से बेईमानी से खनन करता है और इस तरह छोटे खनिजों की खुदाई, निकासी, निष्कासन और बिक्री में संलग्न होता है, तो उसका कृत्य, प्रथम दृष्टया, जांच के अधीन, चोरी और आपराधिक विश्वासघात की श्रेणी में आएगा।...

X

X

X

63... यह समझना मुश्किल है कि इस न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला क्यों नहीं दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता वही था और विद्वान वरिष्ठ वकील जो विद्वान समन्वय पीठ के समक्ष उसका नेतृत्व कर रहा था, उसे इस न्यायालय के फैसले के बारे में पता था, जिसे वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जहां भी उसी विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही, राज्य और खान विभाग के विद्वान वकील ने विद्वान समन्वय पीठ के समक्ष पहले के फैसले को पेश नहीं किया..."

54. इसलिए, मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक खंडपीठ के पास आगे के संदर्भ के लिए भेजा गया था, जिसने माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश पीठों के मतभेदों को सुलझा लिया है।

55. इसके बाद, इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दिनांक 09.02.2024 को की गई, जिसमें निम्न प्रकार से निर्णय दिया गया:-

“25. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि मिथिलेश कुमार सिंह (उपरोक्त) और मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय प्रति *इनक्वियरियम* कहा जा सकता है।”

56. इसके बाद, दिनांक 07.10.2024 को माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम बनाम बिहार राज्य आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1597/2024 में डेहरी टाउन थाना केस संख्या 115/2024 दिनांक 13.02.2024 के संबंध में एक आदेश पारित किया, जो भा.दं.सं की धाराओं 379 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया था और इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के दिनांक 09.02.2024 के उपर्युक्त निर्णय पर विचार किए बिना प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

57. इस न्यायालय के अवलोकन के बावजूद, चूंकि सूचना ईडी द्वारा साझा की गई थी, इसलिए विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया ताकि विभाग पूरे मामले में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में माननीय न्यायालय को अवगत करा सके।

58. श्री हुसैन ने कहा कि यह मामला अनुमेय सीमा से परे या खनिज रियायत के बिना बस्ती/खनन के क्षेत्र से परे अवैध खनन का है। यह बताया गया है कि अत्यधिक खनन से बस्तीवासियों को आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह बताया गया है कि बस्ती के बाद भी प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने अवैध खनन के कारण राज्य को 210.68 करोड़ रुपये (दो सौ दस करोड़ अड़सठ लाख रुपये) का नुकसान पहुंचाया है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(2010) 7 एससीसी 1] के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

58.1. श्री हुसैन ने आगे कहा कि धारा 411 भा.दं.सं के उद्देश्य से, आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से प्राप्त संपत्ति भा.दं.सं की धारा 410 के तहत "चोरी की गई संपत्ति" की परिभाषा में शामिल है और इसलिए, धारा 411 भा.दं.सं के दायरे में आती है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने मीर नागवी असकरी बनाम सीबीआई [(2009) 15 एससीसी 643] के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

58.2. अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया, जो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार [(2014) 2 एससीसी 1]; एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल [(2023) 6 एससीसी 1] अंजू चौधरी बनाम यूपी राज्य। [(2013) 6 एससीसी 384]; मोनिका बेदी बनाम. एपी राज्य [(2011) 1 एससीसी 248]; ईश्वरलाल गिरधारीलाल पारेख बनाम. महाराष्ट्र राज्य [एआईआर 1969 453-457 एससी 40]; भारत संघ बनाम. वेंकटेशन एस. [(2002) 5 एससीसी 285] राजीव कौरव बनाम. बाईसाहब [(2020) 3 एससीसी 317] और स्वर्ण सिंह बनाम. राज्य [(2008) 8 एससीसी 435] के माध्यम से उपलब्ध हैं।

59. श्री हुसैन ने अपने तर्क को समाप्त करते हुए कहा कि रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है और इसलिए वर्तमान प्राथमिकी को रद्द करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदन लाल मामले (उपरोक्त) में तय अनुपात के मद्देनजर पीएमएलए मामले में विभाग की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।

उपरोक्त के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क:

60. खान विभाग और प्रवर्तन विभाग द्वारा उठाए गए उपरोक्त प्रस्तुतियों के विपरीत नोट लेते हुए, श्री समदर्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इन दोनों विभागों ने इन मामलों को अवैध खनन के रूप में पेश किया है। यह बताया गया है कि अवैध खनन का अर्थ है अनुमेय सीमा से परे या बस्ती के क्षेत्र से परे खनन या बिना रियायत के खनन। यह प्रस्तुत किया गया है कि इनमें से किसी भी प्राथमिकी में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त आरोप नहीं लगाया गया था। यह बताया गया है कि प्रवर्तन विभाग ने कहा है कि चांदी थाना केस नंबर 183/2021 और अवतार नगर थाना केस नंबर 261/2021 में अधिक खनन का आरोप है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चांदी थाना केस नंबर 183/2021 को आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401/2022 और अवतार नगर थाना केस नंबर 261/2021 को आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 505/2022 में चुनौती दी गई है, जहां दोनों प्राथमिकी में अत्यधिक खनन का कोई आरोप नहीं है। यह बताया गया है कि जैसा कि ईडी ने रेत के स्वामित्व को उठाया है, जो कभी याचिकाकर्ताओं के पास नहीं था, वह न्यायोचित नहीं है। प्रवर्तन विभाग के प्रस्तुतीकरण से सहमत होते हुए, श्री समदर्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास है। हालाँकि, एक बार जब राज्य रॉयल्टी और अन्य कर प्राप्त करने के बाद किसी विशेष क्षेत्र का निपटान करता है और लघु खनिजों के उत्खनन की अनुमति देता है, तो यह एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15, 23 सी और 26 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्देशित होता है। चूंकि 2019 के नियमों में अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान और अतिरिक्त निकासी के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है, इसलिए 2019 के नियमों के नियम 51(7) में एक विशिष्ट नियम है, जो सुझाव देता है कि नियम 29(एफ) के मद्देनजर बंदोबस्तकर्ता के खिलाफ अतिरिक्त प्रेषण का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें अनिवार्य है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट ब्रिज को

केंद्रीय सर्वर के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और वेट ब्रिज के माध्यम से रेत की मात्रा के सत्यापन के बाद ही ई-चालान तैयार किया जाता है और याचिकाकर्ता को आवंटित कुल अनुमेय सीमा से ऐसी मात्रा कम की जाती है। खान विभाग के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो अतिरिक्त खनन का कोई मामला है और न ही नियम 51(7) के अनुसार अतिरिक्त उत्खनन के संबंध में कोई मांग है।

61. तर्क समाप्त करते हुए, यह बताया गया कि ये दोनों विभाग अपने तर्क पर चुप हैं कि वर्तमान प्राथमिकी में भा.दं.सं की धारा 420, 379, 406 के तहत कथित अपराध के लिए कोई *प्रथम दृष्टया* मामला कैसे बनता है।

62. यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना जो अन्यथा किसी अपराध का खुलासा नहीं कर रहा है, याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह बताया गया है कि रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेज ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले हैं कि विभाग उन्हें अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए, इस स्तर पर **देवेंद्र नाथ पाथी मामले (उपरोक्त)** के मद्देनजर उन्हें पढ़ा जा सकता है। इस न्यायालय के पास न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचाने के लिए ऐसे सभी दस्तावेजों से निपटने की व्यापक शक्ति है, जो कि ऊपर प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष:-

63. सुविधा के लिए आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 में बिहटा थाना केस संख्या - 447/21 दिनांक 03.07.2021 की प्राथमिकी को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा:-

सेवा में,

थानाध्यक्ष,

बिहटा थाना।

विषय :- प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है की आपके थानांतर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति लाइसेंस यथा के-19/2021, के-44/2021 एवं के-52/2021 के पता क्रमशः 1. मौजा- आनंदपुर, मौजा नंबर- 39, प्रखंड- बिहटा, थाना- बिहटा, जिला- पटना, खाता संख्या- 466, खेसरा संख्या- 269, 2. मौजा- कटेशर, मौजा नंबर - 31, प्रखंड- बिहटा, थाना- बिहटा, जिला- पटना, खाता संख्या 163, खेसरा संख्या 411 एवं 3, मौजा- देवकुली, मौजा नंबर- 55 प्रखंड- बिहटा, थाना- बिहटा, जिला- पटना, खाता संख्या 163, खेसरा संख्या 58 के स्थलों पे उपलब्ध बालू की मात्रा का भौतिकी सत्यापन दिनांक को समय 11:00 बजे से 3:00 बजे तक खान निरीक्षक आज़ाद आलम, श्री अंजय कुमार एवं श्री अमित कुमार के साथ किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त अनुज्ञप्ति स्थलों पर बालू की मात्रा सुण्या पाया गया जबकि पमु द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के अनुसार उक्त स्थलों पर क्रमशः (1) 87450 घटफीट (२) 24450 घटफीट एवं (३) 218600 घटफीट बालू का भण्डारण है। उक्त से स्पष्ट होता है की अनुज्ञप्तिधारक के कर्मियों / संचालको द्वारा बिना प्रे-पेड इ-चालान निर्गत किये चोरी से बालू का विक्रय कर दिया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रपत्र ज में संधारित पंजी का भौतिक सत्यापन के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी अनुज्ञप्ति स्थलों पर सिग्न बोर्ड जिसपर अनुज्ञप्तिधारक का नाम, पता, खाता- खेसरा, मौजा, अनुज्ञप्ति संख्या, एवं बालू का विक्रय मूल्य आदि अंकित नहीं पाया गया तथा भंडारित बालू स्थलों का फेंसिंग तथा भंडारित बालू को तारपोलिन से ढका हुआ नहीं पाया गया।

उक्त कृत कार्य अनुज्ञप्ति के कंडिका 1, 12, 13 एवं 15 का उलंघन है तथा बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 39(3) के तहत दंडनीय है। अनुज्ञप्ति संख्या 19/2021 के बावत

43,82,500 अनुज्ञप्ति संख्या 44/2021 के बावत 12,32,500 एवं अनुज्ञप्ति संख्या 52/2021 के बावत 1,49,40,000 रु सरकारी राजस्व की छति हुई है, जो वसूलनीय है।

अतः अनुरोध है की अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मियों / संचालको के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित नियम तथा िप्स के नियम ३७८, ३७९, ४११ एवं ४२० एवं भा.दं.सं के अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करेंगे। (मे ब्रोडसॉ कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत कर्मियों / व्यक्तियों की सूचि अनुज्ञप्तिवार संलग्न।)

विश्वासभाजन
राजेंद्र कुमार सिंह
खान निरीक्षक
जिला खनन कार्यालय, पटना।

64. सुविधा के लिए आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 401/2022 में चंडी थाना केस संख्या 183/21 दिनांक 18.09.2021 की प्राथमिकी को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

जिला खनन कार्यालय भोजपुर आरा

पत्रांक-3484

सेवा में

थानाध्यक्ष

चंडी थाना, भोजपुर।

विषय:- लघु खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थलों पर पीएमयू द्वारा उपलब्ध कराये गये भण्डारित बालू की मात्रा एवं स्थलीय निरीक्षण में पाये गये बालू का अंतर के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2614/एम, दिनांक 04.09.2021 एवं समाहरणालय (खनन शाखा) का पत्रांक-3000/ खनन, दिनांक-12.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध विभागीय निदेशानुसार आपके थानान्तर्गत भोजपुर जिला द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति लाईसेंस का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात एवं पीएमयू से प्राप्त अनुज्ञप्तियों पर भण्डारित बालू की मात्रा में अंतर पाया गया। अनुज्ञप्ति संख्या पर पाये गए भण्डारित बालू की मात्रा का अंतर जिसपर प्राथमिकी दर्ज की जानी है इस प्रकार है-

क्रम सं.	लाइसेंस पता	थाना	लाइसेंस सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	क्षेत्र	पीएमयू द्वारा उपलब्ध मात्रा	भौतिक सत्यापन मात्रा	मात्रा में अंतर के लिए प्राथमिकी
01	मौजा- फरहंगपुर आंचल- कोईलवर	चंडी	K-12/21	526	1134 1133	33 डी	106.500 cft	120000 cft	13500 cft

भौतिक सत्यापन श्री रंजीत कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक द्वारा किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिना प्रीपेड ई-चालान निर्गत किये चोरी से बालू का विक्रय कर दिया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रपत्र ज में संधारित पंजी का भौतिक सत्यापन के कम में प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी अनुज्ञप्ति स्थलों पर साईन बोर्ड जिसपर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पता, खाता-खेसरा, मौजा, अनुज्ञप्ति संख्या एवं बालू का विक्रय मूल्य आदी अंकित नहीं प्या गया।

उपरोक्त वर्णित सभी 01 के-अनुज्ञप्ति स्थलों में भण्डारित बालू की मात्रा में पाए गए अंतर का मात्रा 13500 घनफीट होता है, जिसके कारण रु.540000/- सरकारी राजस्व की छति हुई है, जो वसूलनीय है। उक्त कुत कार्य अनुज्ञप्ति के कंडिका 1.12.13 एवं 15 का उल्लंघन है तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधित) नियमावली 2021 के नियम 39(3) एवं 56 के तहत दण्डनीय है।

अतः अनुरोध है कि अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स ब्रॉडसन कौमोडिटीज प्रा. लि. के निदेशक मंडल एवं अवैध प्रेषण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित नियम तथा आई.पी.सी. के नियम 378, 379, 411 एवं आई.पी.सी. के अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज

करने की कृपा की जाये ताकि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के साथ-साथ राजस्व की क्षति को रोका जा सके।

विश्वासभाजन

पंजीकृत चंडी थाना कांड संख्या 183/21 दिनांक 18.9.21

ह-17.9.21

धारा 379 भा.दं.सं एवं बिहार खनिज (रियायत निवारण अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण) अधिनियम 2021, धारा 39(3)/56 एवं 15 ईपी. अधिनियम, एस.आई राजा राम प्रसाद कृपया इस मामले की जांच करेंगे।

अनुप त्रिपाठी
(खान निरीक्षक)
पिता-स्व. मदन मोहन त्रिपाठी
ग्रा०-बकुलारी, था-गुठनी,
जिला सिवान, बिहार
मो० 9661701005

65. खनन विभाग द्वारा दिनांक 10.07.2021 को हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में जारी एक नोटिस (आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 387/2022 के अनुलग्नक-10) को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों में के-लाइसेंस धारकों के पास बालू की उपलब्धता के संबंध में आम जनता को सूचित किया गया था, जो निम्नानुसार है:-

बिहार सरकार			
खान एवं भूतत्व विभाग आवश्यक सूचना आम जन/ट्रांसपोर्टरों/कार्य संवेदकों को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में बालू के प्रपत्र 'क' भण्डारण अनुज्ञसिधारियों के पास प्रचुर मात्रा में बालू उपलब्ध है। अनुरोध है कि सुविधानुसार अपने जिला/निकटवर्ती जिला के भण्डारण अनुज्ञसिधारियों से सम्पर्क कर बालू प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के कठिनाई होने पर संबंधित जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। विवरणी निम्नवत् है:-			
जिला	प्रपत्र भण्डारण अनुज्ञप्ति की	कुल भण्डारित बालू की	सम्पर्क पदाधिकारी का नाम/मोबाईल सं०

	संख्या	मात्रा (cft)	
अरवल	12	4084733-25	श्री प्रमोद कुमार/8051999728
औरंगाबाद	15	29286925	श्री पंकज कुमार/7294805905
बाँका	24	33236831	श्री अखलाक हुसैन/99737886110
बेगूसराय	04	217800	श्री उपेन्द्र पासवान/9431551802
भागलपुर	06	40650	श्री अखलाक हुसैन/99737886110
भोजपुर	19	4522475	श्री आनंद प्रकाश /7549125357
जमुई	08	90750	श्री निधि भारती/9852903038
जहानाबाद	07	325025	श्री अरुण कुमार चौधरी /9199618063
मुंगेर	01	500	श्री गोपाल साह /9431678029
नालन्दा	05	1098076	श्री मुकेश कुमार /9955328191
नवादा	13	4381150	श्री मुकेश कुमार/9955328191
पटना	64	8698550	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा /9431289921
रोहतास	17	57584000	श्री संजय कुमार/7903845475
सारण	25	18625325	श्री शिवचन्द्र प्रसाद/ 8789089502
शेखपुरा	01	2000	श्री उमेश चौधरी/ 7366040300
वैशाली	04	1366950	श्री जय प्रकाश सिंह/8789724518

2. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत 07 जिलों (यथा नवादा, बाँका, अरवल, किशनगंज, मधेपुरा, वैशाली, बक्सर) के वैद्य बालूघाट बंदोबस्तधारियों द्वारा नदी तल से 300 मीटर की दूरी के अन्दर सेकेंडरी लोडिंग प्वाइंट पर भी बालू का पर्याप्त भण्डारण किया गया है, जहां से आमजन आवश्यकतानुसार बालू

प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अथवा अन्य कोई सूचना देने के लिए विभागीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0612-2215350,2215351 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(गोपाल मीणा)

निदेशक, खान

पीआर.003426(खान)2021-22

66. दिनांक 26.04.2021 को कलेक्टर, पटना को बंदोबस्ती समर्पण का पुनरुत्पादन करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है:-

त्राहिमाम संदेश

सेवा में,

कलेक्टर महोदय,

पटना

मैं अशोक कुमार निदेशक, ब्रॉडसन कमोडिटिज प्रा० लि० हिमांशु कम्पले-
कश कोईलवर, बालू के उठाव में आने वाले समस्याओं का त्राहिमाम संदेश देना चाहता हूँ।
मेरी कम्पनी के पक्ष में पंचांग वर्ष 2015-2019 तक पटना, भोजपुर एवं सारण तीनों जि-
ले के सम्पूर्ण बालू घाटों को सरकार के द्वारा बंदोबस्ती दी गयी थी। बंदोबस्ती अवधि
समाप्त होने के उपरान्त सरकार के द्वारा पुनः विस्तार अवधि दिनांक 01/04/2021 से
30/09/2021 तक दी गयी है। बालू के उठाव में आने वाले समस्याओं का बिन्दुवार जि-
क्र कर रहा हूँ।

1. बालू पर अवैध उत्खनन एवं प्रेषण पर रोक लगाने के लिये माननीय
उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समाहर्ता महोदय भोजपुर के द्वारा बबुरा में बॉस-
बल्ला रहित अस्थाई चेक नाका लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है, परन्तु चेक नाका
पर दण्डाधिकारी या पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी।

2. जिसके कारण बालू के अवैध प्रेषणकर्ता निबोध बिना चलान चेक कराये जबरदस्ती चेक नाका से पास करते हैं। कम्पनी के कर्मचारी के द्वारा जब इनको रोका जाता है, तो ये अवैध बालू से लदे वाहनों के पास कराने वाले गिरोह मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं। उक्त मारपीट के क्रम में इन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों से गोलियां भी चलाई जाती है, जिसके चलते पूर्व में मेरे दो कर्मचारियों को गोली लगी थी। उक्त काण्ड का नामजद प्राथमिकी बड़हारा थाना में भी दर्ज करायी गई, परन्तु अभियुक्त अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं।

3. अब तो प्रायः प्रतिदिन अवैधकर्ताओं के द्वारा बबुरा, भोजपुर चेक नाका पर पत्थरबाजी एवं गोलियां चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल 2021 को करीब 10 बजे रात्री में पुनः पत्थरबाजी एवं फायरिंग की गई, जिसमें मेरे स्टॉफ को कमर में पिस्टल की गोली लगी।

4. कल अर्थात् 11 अप्रैल 2021 पुनः अवैधकर्ता गिरोह के द्वारा पत्थरबाजी की गई एवं बालू लदे अवैध गाड़ी को छुड़ाया गया, इसी क्रम में मेरे एक कर्मचारी को बड़ा सा पत्थर सर में लगा, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाने पर मामला को सिरियस बताते हुए पटना पी०एम०सी०एच० रेफर कर दिया गया। इन सारी वारदातों की सूचना समाहर्ता भोजपुर, पुलिस अधीक्षक भोजपुर, एस०डी०ओ० भोजपुर, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं मुख्य सचिव बिहार सरकार को भी पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है। परन्तु सरकार के तरफ से बंदोबस्ताधारी को जड़ा सी भी मदद नहीं मिल पा रही है। नतीजतन जमालपुर से कोल्लहरामपुर तक एवं फुह्राँ सेमरा से लेकर बिंदगावों, बन्धुछपरा, बलवन टोला होते हुये नदी के किनारे से बबुरा पुल के नीचे अवैध भण्डारण कर 14 चक्का गाड़ियों (जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है) पर लोडकर अवैध परिवहन किया जाता है। इनके उपर कोई अंकुश नहीं है। इसमें पुलिस की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आज क्षेत्र के प्रायः सभी गांवों में (प्रायः कोईलवर पुल के उत्तर) अवैध बालू का अड्डी खुला हुआ है। जहाँ पर असमाजिक तत्वों के द्वारा गांव के नवनिहालों को भी बालू के काले धंधे में संलिप्त किया जा रहा है। इससे इनकी जिंदगी तो बरबाद हो रही है, समाज का अपराधीकरण भी तेजी से हो रहा है। यह

तो अभी कोईलवर पुल के उत्तर का भयावह दृश्य पेश किया जा रहा है। ऐसी विकट स्थिति में कम्पनी के द्वारा राजस्व संग्रहण एक दुरुह कार्य है।

5. कोईलवर पुल से उत्तर जमालपुर से लेकर बबुरा तक पर्यावरण की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। यहां के लोग स्थमा एवं दमा के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। बच्चों के लिये जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आकाश में अवैध परिचालन के चलते आकाश धूलकण से अक्षादित रहा है। इसके लिये कोई समस्या का समाधान नहीं है। कमोबेश यही स्थिति फुर्हीं से लेकर सेमरा, बघु छपरा बिंदगावों, बलवन टोला होते हुये बबुरा पुल के नीचे तक बना हुआ है। इसको देख-रेख करने वालो कोई माय बाप नहीं है। कोईलवर पुल के दक्षिण एवं पटना जिला तथा सारण जिले में भी पहलेजा, कलूघाट, डो-मर्थी घाट, एल०सी०टी एवं गंगाजल घाट इन सब घाटों पर तकरीबन एक-डेढ़ साल से कोई परिवहन चलान ही नहीं कटा है। वहां के लोकल आदमी अवैध उत्खनन एवं प्रेषण में लगे रहते है कोई व्यक्ति परिवहन चलान कटाने के लिए तैयार नहीं होता है। परिवहन चलान कटाने के लिये कहने पर मरने मारने पर उतारू हो जाते है। इस तरह से राजस्व संग्रहण वहां पर नहीं हो पाता है। इससे सरकार एवं कम्पनी को प्रतिदिन लाखों रुपये का क्षति होती है। तथा सारण जिला अन्तर्गत वीर कुंवर सिंह पुल के नीचे भारी मात्रा में अवैध बालू का प्रेषण किया जाता है। इस सम्बन्ध में सारण जिला के दी०आई०जी साहब, कमिशनर महोदया, डी०एम साहब, एवं एस०पी० साहब को समय-समय पर पत्र, ई-मेल एवं whatsapp के माध्यम से सूचना दी जाती रही है। परन्तु उपरोक्त कुकृत्यों पर कभी पूरी कारवाई नहीं हुई। अब तो वहाँ से प्रतिबंधित 14 चक्का ट्रक एवं उसके उपर भार क्ष-मता वाले वाहनों पर बालू की बुलाई धड़ल्ले से की जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है।

5(बी) ऐसी ही स्थिति कमोबेश पटना जिला में भी रानीतलाब थाना क्षेत्र, बिहटा थाना क्षेत्र, विक्रम थाना क्षेत्र पालीगंज थाना क्षेत्र एवं पुनपुन नदी क्षेत्र में अनेकों जगहो पर अवैध बालू के उत्खनन करने के लिये गोलीबारी होते रहती है। बालू के अवैधकर्ताओं के कारण पुरा क्षेत्र अशांत है।

6. इसके अलावा पटना एवं भोजपुर दोनो जिले में नये 29 Modify घाटों का जो कि सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है एवं SIEEA के द्वारा भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त

है। फिर भी सरकार के द्वारा उक्त घाटों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिससे उन घाटों में राजस्व के संग्रहण नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति में कम्पनी सरकार को त्राहिमाम संदेश देती है।

इस परिस्थिति में सरकार के तरफ से अगर यथोचित मदद नहीं मिलेगी जिसमें कि:-

(1) बिहटा समाहर्ता महोदय के आदेश के उपरान्त भी ईमादपुर थाना क्षेत्र के बिहटा के बांस-बल्ला रहित चेक नाका की स्थापना ईमायपुर थाना प्रभारी के द्वारा नहीं करने दी जा रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकारी राज्यादेश को सरासर उल्लंघन हो रहा है।

2. सकट्ठी 3. परहारा 4. बहिरो 5. बेलाउर बंगला में चेक नाका देने का आदेश, पुलिस बल के उपस्थिति में दण्डाधिकारी के देख-रेख में मेरे कर्मियों के द्वारा चलान की वैधता की जांच की जायेगी एवं बबुरा चेक नाका पर सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति (गृह रक्षक याहिनी को छोड़कर) एवं दण्डाधिकारी की भी प्रतिनियुक्त अभी तक नहीं हो पायी है। फलस्वरूप अवैध उत्खननकर्ता एवं प्रेषणकर्ता निर्वाध अवैध बालू का प्रेषण कर रहे हैं। अब तो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि हमलोग को भी असमाजिक तत्वों के द्वारा घेरा जा रहा है। हमलोग के उपर कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

इन सारी व्यवस्थाओं के नहीं रहने पर सरकारी राजस्व का संग्रहण अति दुष्कर होगा। इस संदर्भ में कम्पनी सरकार को अवगत करा देना चाहती है कि किसी भी सुरतेहाल में कम्पनी अपना इसी स्थानांतरण किसी को नहीं करेगी। बाध्य होकर यह पत्र मुझे लिखना पड़ रहा है कि सचिवालय से लेकर जिला तथा सम्बन्धित थाना वगैरह सभी जगहों पर सैकड़ों पत्राचार किया तथा मिलकर भी पत्र दिया गया एवं सम्बन्धित पदाधिकारियों के सामने भी सैकड़ों घटना घटीत हुआ तथा सैकड़ों प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, लेकिन कारवाई शून्य है।

इस पत्र को स्मारित करते हुए कहना है कि लाख प्राथमिकी / पत्राचार करने के उपरान्त भी सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण बालू का अवैध

करोबार अपने चरम सीमा पर चल रहा है प्रशासन बिलकुल लाचार है या लाचार दिखलाने की कोशिश कर रही है समझ से परे है। बालू के अवैध धंधा करने वाले/पासर ग्रुप की पुलिस के साथ सौंठ-गाँठ करने वाले का तूती बोल रहा है। कम्पनी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले नहीं सकती है और कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का अपेक्षित सहायोग मिल नहीं पा रहा है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कम्पनी राजस्व संग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पाती है। इस परिस्थिति में मेरे सामने अब अगला किस्त देने का सारा विकल्प बंद हो चुका है।

अतः कम्पनी 01 मई 2021 से भोजपुर, पटना एवं सारण जिलों के सारे बालू घाटों की बन्दोबस्ती छोड़ने का कठिन निर्णय ले रही है।

विश्वासभाजन

ह०/-

26.4.2021

67. पटना जिले के बालू घाटों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

सेवा में,

सहायक निदेशक

जिला खनन कार्यालय

पटना

विषय:- पटना जिलान्तर्गत के-लाइसेंस पर भण्डारित बालू का भौतिक सत्यापन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पटना जिलान्तर्गत के-लाइसेंस पर भण्डारित बालू का उठाव उस समय तक नहीं होगा, जब तक उक्त भण्डारित बालू का भौतिक सत्यापन नहीं हो जाये। इस संदर्भ में कम्पनी के द्वारा आपको इंगित करते हुए पत्र भी दिया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि कम्पनी के द्वारा बालू घाटों को सरेण्डर कर दिया गया है तथा खान एवं भूतत्व विभाग पटना के माध्यम से कम्पनी के सारे भण्डारित बालू के अनुज्ञप्तियों (के-लाइसेंस-आईडी) को ब्लॉक कर दिया गया है, जब तक की भण्डारित बालू की सत्यापन न हो जाये। अब ऐसी स्थिति में जबकि अवैधकर्ताओं का बोलबाला था ओर जिसके सामने सरकार भी करीब-करीब लाचार

हो गई थी। कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन में के-लाइसेंस पर कोरोना के विषम परिस्थिति को देखते हुए सारे कर्मों को अपने घर भेज दिया गया। लॉकडाउन के स्थिति में अवैधकर्ताओं तथा पुलिस के सहयोग से मेरी कम्पनी के स्टॉक K-License से बालू की चोरी धड़ल्ले से किया गया। जबकि ऐसी आपदा में भण्डारित बालू की सुरक्षा की जबाबदेही भी श्रीमान की थी न की कम्पनी की वैसे भी भण्डारित बालू पर सरकार के द्वारा रोक लगाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा दिये गये अनुज्ञप्ति पर भण्डारित बालू बिना उचित निर्गत (के-लाइसेंस-आईडी) पर चलान के सम्भव ही नहीं।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि सरकार के द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति पर कम्पनी के द्वारा किए गए भण्डारित बालू का यथाशीघ्र भौतिक सत्यापन कर बालू का उठाव की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

10.06.2021

68. यहां समाहरणालय, छपरा द्वारा जारी पत्र संख्या 1592 दिनांक

14.07.2021 को पुनः प्रस्तुत करना भी समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

सारण समाहरणालय, छपरा

(खनन शाखा)

पत्रांक-1592/खनन, पटना

दिनांक: 14/07/2021

फोन नं०-0615-2219545(0) 2219097(र)

फैक्स नं०-06152-22218900(फैक्स)

ई-मेल- डीएम-पटना.बीह@निक.इन

प्रेषित,

मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटीज प्रा०लि०,

डॉ० हिमांशु कम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड,

कोईलवर चौक, आरा (भोजपुर)।

विषय:- पटना जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की विस्ताति बन्दोबस्ती अवधि पंचांग वर्ष 2021 (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 के लिए) का बकाया बन्दोबस्ती राशि ब्याज सहित एवं देय अन्य कर का भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका आवेदन प्रपत्र शून्य, दिनांक 25.04.2021, कार्यालय पत्रांक 982, दिनांक 29.04.2021, आपका आवेदन प्रपत्र शून्य दिनांक 03.05.2021, कार्यालय पत्रांक 1009, दिनांक 04.05.2021 एवं जिला खनन कार्यालय पटना का पत्रांक 1414 दिनांक 01.07.2021, कार्यालय पत्रांक 1475, दिनांक 08.07.2021 एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1557, दिनांक

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की विस्तारित बन्दोबस्ती अवधि पंचांग वर्ष 2021 (दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक) के लिए बन्दोबस्ती को आपके द्वारा दिनांक 01.05.2021 से सरेंडर कर दिया गया है। कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1557 दिनांक 11.07.2021 द्वारा बालूघाटों के नदी तट से 300 मीटर के अन्दर सेकेण्डरी लोडिंग स्थलों तथा भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थलों पर भण्डारित बालू को सरकारी सम्पत्ति मानते हुए कार्यालय पत्रांक-833 दिनांक 21.03.2021 द्वारा निर्गत कार्यादेश की सामान्य शर्त की कंडिका 16 (xxviii) तथा बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2019 (यथा संशोधित) के नियम 50 के प्रावधानों के तहत जप्त किया गया है। जिला स्तरीय गठित समिति के द्वारा जप्त बालू की बिक्री के लिए निर्धारित किए गए विक्रय मूल्य के आधार पर गणनित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर जप्त बालू की मात्रा (घनफीट में)	भण्डारित अनुज्ञप्ति स्थलों पर जप्त बालू में) की मात्रा (घन-फीट में)	कुल मात्रा (घनफीट में)	कुल राशि	अभ्युक्ति
7700270	62256600	12958870	521773155/-	रु० 40 ति फीट विक्रय मूल्य आधार

कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक-1475 दिनांक 06.07.2021 द्वारा विस्तारित बन्दोबस्ती अवधि पंचांग वर्ष 2021 (दिनांक 04.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक) बकाया बन्दोबस्ती राशि रु० 80,45,58,604/- (रु अस्सी करोड़ अड़तालिस लाख अन्ठावन हजार छः सौ चार मात्र) देय कर एवं ब्याज जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। बालू भण्डारण स्थलों पर जप्त बालू की मात्रा बिक्री किए जाने पर कुल राशि रु०

52,17,73,155/- (रू० बावन करोड़ सत्रह लाख तीहत्तर हजार एक सौ पचपन मात्र) सरकार को प्राप्त होगा। आपके भण्डारण स्थलों पर जस 1,29,56,870 घनफीट का बकाया आपके अस्पष्ट शेष बचता है। आपके द्वारा विस्तारित बन्दोबस्ती अवधि दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09. 2021 तक की बन्दोबस्ती का प्रत्यार्पण किया गया, किन्तु बिहार बालू खनन नीति 2019 की कंडिका 18 के प्रावधान के तहत आपके द्वारा प्रत्यार्पण के पूर्व सम्पूर्ण बन्दोबस्ती राशि जमा नहीं की गई है। अतः आपके प्रत्यार्पण को स्वीकृत करते हुए सूचित किया जाता है कि शेष बन्दोबस्ती राशि जमा नहीं की गयी है। अतः आपके प्रत्यार्पण को स्वीकृत करते हुए सूचित अस्पष्ट शेष बन्दोबस्ती राशि रू० 28,30,85,450/- (रू० अठाईस करोड़ तीस लाख पचासी हजार चार सौ पचास मात्र) ब्याज सहित एवं देय कर अस्पष्ट खनन कार्यालय, पटना में अविलम्ब भुगतान करना सुनिश्चित करें अन्यथा नीलामपत्र मुकदमा दायर करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा।

ह०-अस्पष्ट

समाहर्ता, पटना

69. सभी आईडी से जब्त रेत की बिक्री के संबंध में दिनांक 04.09.2021 के पत्र को पुनः प्रस्तुत करना और रेत से राजस्व संग्रह की समीक्षा करना भी उचित होगा, जो इस प्रकार है:

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं० सं०-2/एम०एम० (बा०)-22/21-2614/एम०, पटना, दिनांक-04/09/2021

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०

निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी संबंधित उप निदेशक

सभी संबंधित सहायक निदेशक

सभी संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी,

सभी संबंधित खान निरीक्षक,

पटना/भोजपुर/सारण/रोहतास /औरंगाबाद।

विषय: जस बालू की बिक्री में तीव्रता लाने एवं सभी ID से बालू की बिक्री प्रारम्भकरने एवं प्राप्त राजस्व की समीक्षा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विभिन्न जिलान्तर्गत प्रपत्र-K लघु खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थलों पर जस बालू तथा विभागीय पी०एम०यू० के डेटाबेस में दर्ज प्रपत्र-K भण्डारण अनुज्ञप्ति में उपलब्ध बालू की मात्रा (अनुलग्नक-1) से संबंधित आंकड़ों के आधार पर आपके जिलान्तर्गत राजस्व समाहरण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जो पत्रांक-2333/एम०, दिनांक-19.08.2021 से सूचित किया गया था। किन्तु नदी तट से 300 मीटर के अंदर सेकेन्डरी लोडिंग पॉइंट पर तथा अन्य स्थलों पर जस भण्डारित बालू की मात्रा को भी जिलास्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर से बालू बिक्री करायी जानी है एवं राशि खनन शीर्ष में जमा कराया जाना है। समीक्षा के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि आपके जिलान्तर्गत सभी आई०डी० से बालू की बिक्री नहीं की जा रही है, (जिलावार विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के आलोक में उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि अपने जिलान्तर्गत सभी आई०डी० से बालू की बिक्री चालू करायी जाय।

अपने जिला में अभी तक बिक्री किये गये बालू, शेष बचे बालू, जमा राशि से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। विभाग के पास उपलब्ध प्रतिवेदन के अनुसार जिलावार स्थिति निम्न प्रकार है:

जब्त स्टॉक से रेत की दिनवार बिक्री					
क्रम सं.	ज़िला	खातों की सं.	अनुमत कैपिंग मात्रा मीट्रिक टन में	कुल बिक्री (जुलाई+अगस्त सितंबर) मीट्रिक टन में	शेष राशि मीट्रिक टन में

1.	औरंगाबाद	9	4,27,772.79	88,278.00	3,39,494.79
2.	भोजपुर	5	1,99,483.36	24,026.00	1,75,457.36
3.	पटना	38	4,27,677.60	2,33,124.00	1,94,553.60
4.	रोहतास	5	30,846.00	16,338.00	14,508.00
5.	सारन	15	1,81,417.24	80,930.00	1,00,487.24
	कुल	72	12,67,196.99	4,42,696.00	8,24,500.99

3. इसी कम में यह भी निदेशित किया जाता है कि यदि आपके जिला में बालू की मात्रा में कमी/चोरी हुई है, तो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण), नियमावली, 2019 के नियम 39 और 56 एवं भारतीय डंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायें। साथ ही राजस्व हानि का आंकलन कर उसकी वसूली हेतु निलाम-पत्र मुकदमा दायर कर दर्ज प्राथमिकी और दायर नीलाम पत्र वाद की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक, खान

ज्ञापांक:- 02 एम०एम० (बा०)-22/21.2614/ एम०, पटना, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, खान

ज्ञापांक:- 02 एम०एम० (बा०)-22/21.2614/एम०, पटना, दिनांक 04/9/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव कोषांग, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, खान

70. इस न्यायालय की एक विद्वान समन्वय पीठ द्वारा **आपराधिक विविध**

संख्या 8423/2023 में पारित दिनांक **18.05.2023** के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना

भी समीचीन होगा, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं में से एक,

सदाशिव प्रसाद सिंह, जो मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी थे, को अग्रिम जमानत प्रदान की है, जो कि तत्काल संदर्भ के लिए इस प्रकार है:

“श्री पी.एन. शाही, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी और श्री नरेश दीक्षित, खान विभाग, बिहार सरकार के विद्वान विशेष पीपी ने की, को सुना।

इस न्यायालय के दिनांक 17.05.2023 के आदेश के अनुसार, जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद उपस्थित हैं, हालांकि, वे इस पद के नए पदाधिकारी होने के कारण अधिक सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे, इसलिए, इस न्यायालय ने खान निदेशक को उपस्थित होने के लिए कहा। इस प्रकार, खान विभाग के निदेशक श्री मोहम्मद नैयर इकबाल उपस्थित हुए और उन्होंने मामले को समझाया।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा जाएगा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 और 420 तथा बिहार खनिक (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 (जिसे आगे “नियम 2019” कहा जाएगा) के नियम 11, 39 और 56 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज दाउदनगर थाना कांड संख्या 481/2021 के संबंध में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पैराग्राफ ‘3’ में उन मामलों की सूची दी है जो सभी समान प्रकृति के हैं और जिनसे यह प्रतीत होता है कि हाल के दिनों में कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ लगभग 28 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें आरोप समान प्रकृति के हैं।

अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, खान विकास अधिकारी, औरंगाबाद ने आरोप लगाया है कि के-लाइसेंस संख्या 05, 04/2021 और 19/2020 के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 2,05,350 सीएफटी स्टॉक पाया गया, जबकि परियोजना निगरानी इकाई (संक्षेप में “पीएमयू”) ने एक रिपोर्ट उपलब्ध कराई कि

स्टॉक प्वाइंट पर, संग्रहीत रेत की कुल मात्रा 7,08,830 सीएफटी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइसेंस धारक और उसके कर्मचारियों/ऑपरेटरों ने प्री-पेड ई-चालान जारी किए बिना 05,03,480 सीएफटी रेत का परिवहन किया है। यह आरोप लगाया गया है कि लाइसेंस धारक ने लाइसेंस के खंड (1), (12), (13), और (15) और नियम 2019 के नियम 11 और 39 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है जो नियम 56 के तहत दंडनीय है। सूचना देने वाले ने आरोप लगाया है कि लाइसेंस धारक कंपनी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 420 और अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कंपनी रेत घाट की बंदोबस्तधारी है। अंत में, बंदोबस्ती को 01.04.2021 से 30.09.2021 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने बंदोबस्ती राशि की पहली किस्त का भुगतान किया, लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों से कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार बंदोबस्ती को सरेंडर करने का फैसला किया। कंपनी ने 01.05.2021 से बंदोबस्ती को सरेंडर कर दिया।

बताया गया है कि कंपनी द्वारा लीज सरेंडर करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद ने निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार को याचिकाकर्ता के स्टॉक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और जिले के विभिन्न स्टॉक प्वाइंटों पर स्टॉक का सत्यापन करने के लिए लिखा था। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद द्वारा ज्ञापन संख्या 635 दिनांक 01.05.2021 (अनुलग्नक '4') युक्त पत्र जारी किया गया था।

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे बताया कि उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, दाउदनगर ने निरीक्षण किया तथा उनके प्रतिवेदन के अनुसार के-प्वाइंट 4/2021 एवं 5/2021 में लगभग 1,05,750 एवं 15,300 मीट्रिक टन बालू पाया गया।

विद्वान वरीय अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि इसे सीएफटी में परिवर्तित किया जाए तो यह 30,26,000/- सीएफटी आएगा। तर्क यह है कि निरीक्षण की तिथि अर्थात् 11.05.2021 को उन स्थानों पर 30,26,000/- सीएफटी बालू मौजूद था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि सेटलमेंट कंपनी द्वारा स्टॉक सरेंडर करने के बाद, उस पर कब्जा ले लिया गया और विभाग द्वारा अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टॉक बेचने की व्यवस्था की गई। इस संबंध में, विभाग द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस, जो दिनांक 10 जुलाई, 2021 के आवेदन के अनुलग्नक '9' में निहित है, प्रस्तुत किया गया है।

आज कई कागजात पेश किए गए हैं, जिनमें याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह खान विकास अधिकारी, औरंगाबाद का अपना पत्र है, जो विभिन्न पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी को संबोधित है, जैसा कि ज्ञापन संख्या 1555 दिनांक 25.11.2021 में निहित है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 11.07.2021 और 17.08.2021 के पत्र का संदर्भ दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से, खनन विकास अधिकारी ने थाना के प्रभारी अधिकारी को याद दिलाया है कि उन्हें पहले के बंदोबस्तियों के स्टॉक प्वाइंट पर पड़े स्टॉक की सुरक्षा का ध्यान रखना था। अनुस्मारक के माध्यम से, प्रभारी अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया ताकि सरकारी खजाने को कोई नुकसान न हो।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने खनन स्थल पर बनाए गए ई-चालान की प्रति भी प्रस्तुत की है। इसमें घाट का ई-कैप है। इस मामले के बंदोबस्तकर्ता द्वारा जारी ई-चालान अनुलग्नक '13' के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये ई-चालान रेत के वजन, सीएफटी में मात्रा और जिस मूल्य पर इसे बेचा जाता है, उसमें शामिल हैं। ये रेत स्टॉक प्वाइंट से बेची जाती है, हालांकि, वे एक ही हैं और जिसके संबंध में खनन स्थल पर ई-चालान बनाया जाता है।

किसी भी मामले में, विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क है कि स्टॉक के आत्मसमर्पण के बाद, यह संबंधित थाना के प्रभारी अधिकारी के कब्जे में था, इसलिए, ये प्रासंगिक तथ्य हैं जिनका 26.08.2021 को दर्ज प्राथमिकी में खुलासा नहीं किया गया है।

खान विभाग के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री नरेश दीक्षित और खान विभाग के निदेशक दोनों ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से असहमत नहीं हैं कि बंदोबस्त 01.05.2021 को सरेंडर कर दिया गया था। वे इस बात से असहमत नहीं हैं कि सरेंडर करने के बाद, 11.05.2021 को एस.डी.एम., दाउदनगर द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें स्टॉक प्वाइंट पर 30,26,000/- सीएफटी बालू पाया गया था। वे इस बात से भी असहमत नहीं हैं कि स्टॉक सरेंडर करने के बाद, बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से उन स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए थे और सरेंडर करने के बाद संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को स्टॉक प्वाइंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था और यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि कोई चोरी न हो।

इन सभी मामलों की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, खान विभाग के विद्वान वकील और विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें स्टॉक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियाँ और विभाग और खान निदेशक के विद्वान वकील के बयानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, जब यह न्यायालय पाता है कि आवेदन के पैराग्राफ '3' में बताए गए बड़ी संख्या में मामलों में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार दिया गया है और

उनमें से कुछ जो इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, वे हैं आपराधिक विविध 68755/2022, आपराधिक विविध 69656/2022, आपराधिक विविध 69250/2022, आपराधिक विविध 69140/2022, आपराधिक विविध 69402/2022, आपराधिक विविध 23928/2022, Cr. विविध संख्या 74522/2022 और सीआरपीसी की विविध संख्या 7407/2023 के तहत न्याय में एकरूपता बनाए रखने के लिए, यह अदालत निर्देश देती है कि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के मामले में, याचिकाकर्ता को दाउदनगर पीएस केस संख्या 481/2021 के संबंध में रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के जमानत बांड के साथ विद्वान सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो सीआरपीसी की धारा 438(2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन है।

और आगे शर्त यह है कि निचली अदालत याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास की पुष्टि करेगी और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, तो निचली अदालत याचिकाकर्ता के जमानत बांड को रद्द करने के लिए कदम उठाएगी। हालांकि, उपर्युक्त आदेश के अनुसार जमानत बांड की स्वीकृति सत्यापन के उद्देश्य से या उसके नाम पर विलंबित नहीं की जाएगी।

इस आदेश से अलग होने से पहले, न्याय के हित में यह दर्ज करना समीचीन है कि इस मामले के संबंध में आज की चर्चा के बाद, सुनवाई के दौरान, खान निदेशक ने महसूस किया कि जिन लोगों को स्टॉक सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए, उचित कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाने का वचन देते हैं।

तदनुसार इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।”

71. तलाशी और जब्ती के संबंध में कानूनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए दं.प्र.सं की धारा 100 की उपधारा (4) और (5) को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

"100. बंद स्थान के प्रभारी व्यक्ति तलाशी की अनुमति देंगे-

(1) xxx

(2) xxx

(3) xxx

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पहले, तलाशी लेने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस इलाके के दो या अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाएगा जिसमें तलाशी लेने वाला स्थान स्थित है या किसी अन्य इलाके का यदि उक्त इलाके का कोई ऐसा निवासी उपलब्ध नहीं है या तलाशी का साक्षी बनने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वह तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने के लिए कहेगा और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित में आदेश जारी कर सकता है।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी और ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों और उन स्थानों की सूची जिसमें वे क्रमशः पाई गई हैं, ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी; लेकिन इस धारा के अधीन तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि उसे विशेष रूप से न्यायालय द्वारा नहीं बुलाया जाता।"

72. वर्तमान मामले में शामिल कानूनी मुद्दों की बेहतर समझ के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 379, 406, 411, 420 को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

"धारा 378:- चोरी। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए ले जाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है।"

379. चोरी के लिए सजा। - जो कोई चोरी करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

406. आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा। - जो कोई आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

411. चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। - जो कोई भी चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

420. छल करना और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए प्रेरित करना। - जो कोई छल करता है और इस प्रकार बेईमानी से प्रवंचित व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को, जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगी हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो, पूरी तरह से या उसके किसी भाग को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

73. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4,

14 को पुनः उद्धृत करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

4. लाइसेंस या पट्टे के तहत पूर्वक्षण या खनन कार्य।- (1) [कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई पूर्वक्षण, पूर्वक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत दिए गए पूर्वक्षण परमिट या पूर्वक्षण लाइसेंस [या अन्वेषण लाइसेंस] या, जैसा भी

मामला हो, खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के तहत और उनके अनुसार हो]:

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों और नियमों के अनुसार किसी क्षेत्र में किए गए किसी पूर्वक्षण या खनन कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा, जो ऐसे प्रारंभ पर लागू है:

[इसके अलावा यह भी बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग के [अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय] द्वारा किए गए किसी भी पूर्वक्षण संचालन पर लागू नहीं होगा। सरकार, किसी भी राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं), और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, [कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी, और कोई भी [निजी संस्थाओं सहित अन्य संस्थाएं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं] [यह भी प्रदान किया गया है कि इस उप-धारा में कुछ भी गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले लागू किसी भी खनन पट्टे (चाहे खनन पट्टा खनन रियायत या किसी अन्य नाम से पुकारे जाएं) पर लागू नहीं होगा।]

[(1ए) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण नहीं करेगा या परिवहन या भंडारण नहीं करवाएगा।]

[कोई भी सर्वेक्षण परमिट, पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा] इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा।

[(3) कोई भी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात् और धारा 18 के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार, उस राज्य के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में सर्वेक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएं कर सकेगी, जो पहले से किसी सर्वेक्षण भावी या खनन पट्टे के अधीन न हो।]

xxx

xxx

xxx

14. [धारा 5 से 13] का लघु खनिजों पर लागू न होना।- [धारा 5 से 13] के उपबंध (सम्मिलित) लघु खनिजों के संबंध में 2[खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों] पर लागू नहीं होंगे।

74. बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण)

नियम, 2019 की धारा 29 सी, 29 एफ, 30, 39, 41, 46, 47, 50, 51 और 59 को

पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:

29-सी. खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन.-बंदोबस्तधारी को खनन योजना की शर्तों के साथ-साथ संबंधित बंदोबस्त से संबंधित पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

29-एफ. तौल कांटों की स्थापना.- प्रत्येक बालूघाट में एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा हो सकता है, जो केंद्रीय सर्वर से एकीकृत हो। हालांकि निकटवर्ती बालूघाटों के लिए विभाग सामान्य तौल कांटा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। उचित तौल पर्ची/ई-चालान के बिना बालू ले जाते हुए पाए जाने वाले किसी भी वाहन को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकता है।

30. शर्तों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना.- (1) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन या 3 मीटर की गहराई से अधिक बालू खनन के मामले में, कलेक्टर द्वारा बंदोबस्तधारी के खिलाफ पहली बार उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) दूसरी बार उल्लंघन करने पर उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निपटानकर्ता के विरुद्ध पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(3) जहां कहीं भी कोई बंदोबस्तधारी तीसरी बार या उससे अधिक बार ऐसे अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो समाहर्ता द्वारा उस विशेष बालूघाट की बंदोबस्ती अस्थायी रूप से अधिकतम एक माह की अवधि के लिए निलंबित की जा सकेगी, जब तक कि ऐसे उल्लंघनों का सुधार नहीं हो जाता। यदि समाहर्ता द्वारा इस संबंध में दिए गए समय में उल्लंघनों का सुधार नहीं किया जाता है, तो संबंधित बालूघाट की बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई अत्यंत आवश्यक स्थिति में की जाएगी।

(4) बालू का परिवहन केवल ढके हुए वाहकों के माध्यम से किया जाएगा तथा वाहकों में गीला बालू नहीं लोड किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी गीले बालू तथा ट्रांसपोर्टर से बिना ढके परिवहन किए गए बालू के किसी भी परिवहन के लिए उक्त वाहक में लोड किए गए बालू के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाएगा।

39. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पट्टा क्षेत्र से बाहर लघु/प्रमुख खनिज का व्यवसाय करता है, उसे फार्म-के में खनन अधिकारी से स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसे व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा ऐसे सभी खनिजों की खरीद-बिक्री का उचित लेखा-जोखा फार्म-एच में रजिस्टर में रखना होगा, जिसे निरीक्षण के लिए खान आयुक्त, खान निदेशक, अतिरिक्त खान निदेशक या खान उपनिदेशक या खनन अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फार्म-के में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) का शुल्क संलग्न करना होगा।

(क) ऐसा प्रत्येक लाइसेंस एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होगा; (ख) ऐसा प्रत्येक लाइसेंस आवेदन पर नवीकृत किया जा सकेगा, जिसके साथ 10,000/- रुपये का शुल्क संलग्न करना होगा। 2000 (दो हजार रुपए)

(2) (1) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टॉक से खनिज भेजते समय प्रत्येक वाहक को फॉर्म-'जी' या निर्धारित प्रारूप में परिवहन चालान जारी करेगा।

(3) यदि (1) में उल्लिखित कोई व्यक्ति फॉर्म 'एच' में रजिस्टर बनाए रखने या फॉर्म 'के' में लाइसेंस प्राप्त करने या फॉर्म 'जी' या निर्धारित प्रारूप में चालान जारी करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष तक के साधारण कारावास या खनिज के मूल्य के साथ-साथ 10,000/- रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

41. ई-चालान- सभी लघु खनिजों की आवाजाही, चाहे वह खनिज रियायत धारक द्वारा हो या निगम द्वारा, फॉर्म जी या निर्धारित प्रारूप में ई-चालान के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

46. रजिस्टर, विवरणी और साइनबोर्ड.- (1) प्रत्येक खनिज रियायत धारक प्रपत्र 'एच' में रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें दिन-प्रतिदिन के लेन-देन दर्ज किए जाएंगे। उसे एक साइनबोर्ड भी प्रदर्शित करना होगा।

(2) प्रत्येक खनिज रियायत धारक प्रत्येक माह सक्षम अधिकारी को प्रपत्र 'आई' में खनिजों के लिए सही और सत्य विवरणी उस माह के पंद्रहवें दिन तक प्रस्तुत करेगा, जिससे वह संबंधित है।

(3) प्रत्येक खनिज रियायत धारक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र "जे" में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। (4) प्रत्येक खनिज रियायत धारक खनिजों के खातों का निरीक्षण, सत्यापन और जांच करने के लिए खनन अधिकारी या खान निदेशक या खान के अतिरिक्त निदेशक या खान के उप निदेशक या कलेक्टर

द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) यदि खनिज रियायत धारक या खनिजों को निकालने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए खाते, रिटर्न और अन्य साक्ष्य, किसी भी प्राधिकृत अधिकारी की राय में गलत, अपूर्ण या पूरी तरह या आंशिक रूप से अविश्वसनीय हैं, तो संबंधित अधिकारी खनन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार करदाता से देय रॉयल्टी की राशि का आकलन करने के लिए आगे बढ़ेगा:

बशर्ते कि यदि खनन अधिकारी ने स्वयं राय बनाई है, तो वह करदाता से देय रॉयल्टी की राशि का आकलन करने के लिए तुरंत आगे बढ़ेगा।

(6) राज्य सरकार खातों/रिटर्न या अन्य साक्ष्य के अलावा हवाई सर्वेक्षण/जमीनी सर्वेक्षण या किसी भी नवीनतम विधि जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रासंगिक रियायत अवधि के दौरान उत्खनित खनिज की वास्तविक मात्रा का पता लगाने का निर्देश भी दे सकती है।

47. खनिज रियायत को निलम्बित या रद्द करने की शक्ति.-

(1) कलेक्टर अपने जिले में किसी भी खनिज रियायत को रद्द/निलंबित करने के लिए सक्षम होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कलेक्टर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी खनिज रियायत की प्रतिभूति जमा/बयाना राशि को निलम्बित या रद्द कर सकता है तथा जब्त कर सकता है -

(क) यदि खनिज रियायत प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं; या (ख) यदि खनिज रियायत उसके धारक द्वारा हस्तांतरित या उप-पट्टे पर दी गई है; या

(ग) यदि उसके धारक द्वारा देय कोई खनन राजस्व का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है; या

(घ) यदि ऐसे खनिज रियायत के धारक द्वारा उसके सेवक या अभिकर्ता द्वारा, या उसकी ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी खनिज रियायत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है; या

(ङ०) यदि खनिज रियायत धारक या उसके एजेंट या कर्मचारी को अधिनियम या इन नियमों या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है, जो खनन मामलों या खनन राजस्व से संबंधित मामले से संबंधित या संबंधित है या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध का दोषी ठहराया जाता है; या

(च) यदि जिस उद्देश्य के लिए खनिज रियायत दी गई थी, वह समाप्त हो जाता है; या

(छ) यदि खनिज रियायत गलत बयानी या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है; या

(ज) यदि खनिज रियायत धारक ने इन नियमों में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या

(झ) यदि खनिज रियायत धारक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है या इसमें उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है; अथवा

(ञ) यदि खनिज रियायत धारक विलेख निष्पादित करने की तिथि से तीन माह के भीतर खनन कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है।

(ट) यदि किसी अन्य कारण से कलेक्टर प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि खनिज रियायत रद्द किए जाने योग्य है।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत की गई किसी कार्रवाई के लिए खनिज रियायत धारक किसी भी प्रकार के मुआवजे या वापसी के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम, इन नियमों और खनिज रियायत की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर राज्य सरकार या

कलेक्टर खनिज रियायत को रद्द करने के अलावा उपयुक्त वित्तीय दंड भी लगा सकता है और/या आपराधिक मुकदमा भी चला सकता है।

(5) लगाया गया ऐसा कोई भी दंड लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के अंतर्गत वसूल किया जा सकेगा।

50. खनिज रियायत धारक के लिए बाहर निकलने का विकल्प.- (1) कोई भी खनिज रियायत धारक, खनिज रियायत अवधि के किसी भी समय, कलेक्टर को छह महीने का नोटिस देकर व्यवसाय से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। हालाँकि, यह विकल्प उन खनिज रियायत धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने अपनी बोली राशि या निपटान राशि का भुगतान नहीं किया है या निपटान की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) कलेक्टर ऐसे खनिज रियायत धारक को व्यवसाय से बाहर निकलने और खनिज रियायत धारक द्वारा जमा की गई किसी भी सुरक्षा राशि को ऐसी बकाया राशि काटने के बाद वापस करने की अनुमति दे सकता है, जो वसूली योग्य हो।

(3) इसके बाद कलेक्टर नई बोली लगाने की व्यवस्था शुरू करेगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन या पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन या किसी अन्य अनियमितता की रिपोर्ट की स्थिति में, खनिज रियायत धारक के लिए कोई बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और उनकी सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

51. किराया/रॉयल्टी और मूल्यांकन.- 1. जब खनिज रियायत दी जाती है:-

(क) अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर डेड रेंट लिया जाएगा; (ख) अनुसूची III (ए) में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी ली जाएगी; और (ग) पट्टेदार द्वारा अधिभोग या उपयोग किए गए क्षेत्र के लिए कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर सतह किराया लिया जाएगा।

2. इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, उप-नियम (1) के प्रावधान ऐसे प्रारंभ की तारीख से पहले दिए गए या नवीनीकृत किए गए पट्टों पर भी

लागू होंगे और ऐसी तारीख को विद्यमान होंगे। 3. यदि खनिज रियायत धारक एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों के काम करने की अनुमति देता है, तो कलेक्टर प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग-अलग डेड रेंट ले सकता है।

बशर्ते कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में डेड रेंट या रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो भी राशि में अधिक हो।

4. किसी भी पट्टे के दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, खनिज रियायत धारक किसी भी लघु खनिज के संबंध में, जो उसके स्वामित्व में है, निकाला गया है और निकाला गया है, किराया/रॉयल्टी का भुगतान अनुसूची II और III (ए) में समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर करेगा।

5. राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची II, III (ए) और III (बी) में संशोधन कर सकती है ताकि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भी लघु खनिज के संबंध में किराए/रॉयल्टी की दर को बढ़ाया या घटाया जा सके।

6. खनन अधिकारी, पट्टेदार द्वारा फॉर्म "I" में प्रस्तुत मासिक रिटर्न और फॉर्म "जे" में वार्षिक रिटर्न की ऐसी जांच और सत्यापन के बाद, जैसा कि वह आवश्यक समझे, निर्धारित अवधि के अंत में खनिज रियायत धारक द्वारा देय किराए/रॉयल्टी की राशि का आकलन करेगा।

7. इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, लघु खनिजों की नीलामी के मामले में रॉयल्टी नीलामी की राशि होगी। ऐसे मामलों में जहां भेजी गई मात्रा पर रॉयल्टी नीलामी राशि से अधिक है, निकाले गए खनिज की अतिरिक्त मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी भी देय होगी।

8. खनिज रियायत धारक को सार्वजनिक मांगों की प्रकृति के सभी मूल्यांकन और अधिरोपण का भी भुगतान करना होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा लगाए जाएंगे।

59. प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने और जब्त करने की शक्ति।-

(1) किसी भी खान या परित्यक्त खान की वास्तविक या संभावित स्थिति का पता लगाने के लिए या इन नियमों से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी, अर्थात्:

(क) खान आयुक्त, खान निदेशक; या

(ख) कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी

(ग) अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास अधिकारी और खनन निरीक्षक; (I) किसी भी खान में प्रवेश कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं;

(ii) किसी भी ऐसी खान का सर्वेक्षण और माप ले सकते हैं;

(iii) किसी भी खान में पड़े खनिज के स्टॉक का वजन, माप या माप ले सकते हैं;

(iv) किसी भी व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में किसी भी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं, जो किसी भी खान पर नियंत्रण रखता है या उससे जुड़ा है और उस पर पहचान के निशान लगा सकता है और ऐसे दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां बना सकता है;

(v) खंड (iv) में निर्दिष्ट किसी भी ऐसे दस्तावेज, पुस्तक रजिस्टर को प्रस्तुत करने का आदेश देना;

(vi) किसी भी खान पर नियंत्रण रखने वाले या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति की जांच करना;

(vii) किसी भी दस्तावेज, नमूने, उपकरण, वाहन, पशु, वस्तु, लघु खनिज, सामग्री, कच्चे माल या किसी अन्य संबंधित वस्तु को जब्त करना।

(2) ऐसी तलाशी और जब्ती के मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के प्रावधान लागू होंगे।”

75. बिहार लघु खनिज समनुदेशन नियमावली, 1972 के नियम 11 को पुनः

उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“11ए. बंदोबस्त का तरीका - (1) रेत को गौण खनिज के रूप में बंदोबस्त करने के लिए कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी-सह-निविदा द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में रेखांकित तरीके से किया जाएगा;-

(क) प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक नदी को एक खंड माना जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल किसी भी स्थिति में 5 हेक्टेयर से कम नहीं होगा।

(ख) इसी प्रकार, एक जिले की सभी नदियों को अलग-अलग खंड माना जाएगा और बंदोबस्त के उद्देश्य से एक जिले में ऐसे सभी खंडों को एक एकल इकाई में जोड़ा जाएगा।

(ग) उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी के तुरंत बाद नीलामी राशि का 25% जमा करना होगा, जिसके बाद कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में सैद्धांतिक मंजूरी आदेश जारी किया जाएगा।

(घ) उच्चतम बोली लगाने वाले को आवश्यक दस्तावेज (अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण मंजूरी, नीलामी राशि की देय किस्त का बैंक ड्राफ्ट) जमा करना होगा। और अन्य करों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट है, जिसके बाद कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उनके पक्ष में कार्य आदेश जारी किया जाएगा।

(ड.) सफल बोलीदाता को संबंधित रेतघाट इकाई के लिए तैयार की गई खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे राज्य सरकार अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(च) सफल बोलीदाता को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की वर्तमान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना तथा पर्यावरण संरक्षण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करनी होगी

बशर्ते कि राज्य सरकार विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, नदी घाटों और रेत खनन क्षेत्रों के जिलावार सीमांकन में व्यावहारिक कठिनाइयों, कानून व्यवस्था की स्थिति, राजस्व हित, अवैध खनन की जांच और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दो या अधिक जिलों को एक इकाई के रूप में संयुक्त रूप से बंदोबस्त करने का निर्देश दे सकती है।

आगे यह भी प्रावधान है कि एक या अधिक इकाइयों के बंदोबस्त न होने की स्थिति में खान आयुक्त कलेक्टर की अनुशंसा पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या जिला परिषद या ग्राम पंचायत के माध्यम से रॉयल्टी की वसूली का निर्णय ले सकते हैं।

आगे यह भी प्रावधान है कि अलग-थलग और दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे रेत भंडार, जिन्हें उचित और सुविधाजनक रूप से नीलामी द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, कलेक्टर द्वारा पहचाने जाएंगे और खान आयुक्त द्वारा अनुमोदन के बाद सक्षम अधिकारी (नियमों में परिभाषित) ऐसे क्षेत्रों से रेत निकालने के लिए परमिट जारी कर सकते हैं, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।....”

76. देबेन्द्र नाथ पाधी केस (उपरोक्त) के पैरा 25 को पुनः उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“25. उपर्युक्त प्रावधान के तहत परिकल्पित किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब यह पाया जाए कि वह “संहिता के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय है”। धारा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दस्तावेज के आवश्यक या वांछनीय होने के बारे में है। आवश्यकता या वांछनीयता को उस चरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब उत्पादन के लिए प्रार्थना की जाती है। यदि कोई दस्तावेज अभियुक्त के बचाव

के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में धारा 91 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उस चरण में अभियुक्त का बचाव प्रासंगिक नहीं है। जब धारा जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही को संदर्भित करती है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी अदालत में दस्तावेज को बुलाने और पेश करने के लिए आवेदन कर सकता है जैसा कि धारा में उल्लिखित किसी भी चरण में आवश्यक हो सकता है। जहां तक अभियुक्त का संबंध है, उसका धारा 91 के तहत आदेश मांगने का अधिकार आमतौर पर बचाव के चरण तक नहीं आता है। जब धारा दस्तावेज के आवश्यक और वांछनीय होने की बात करती है, तो यह निहित है कि आवश्यकता और वांछनीयता की जांच उस चरण पर विचार करते हुए की जानी चाहिए जब समन और उत्पादन के लिए ऐसी प्रार्थना की जाती है और इसे करने वाला पक्ष, चाहे पुलिस हो या आरोपी। यदि धारा 227 के तहत, जो आवश्यक और प्रासंगिक है वह केवल संहिता की धारा 173 के अनुसार प्रस्तुत किया गया रिकॉर्ड है, तो आरोपी उस चरण में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेज के उत्पादन की मांग करने के लिए धारा 91 का आह्वान नहीं कर सकता है। धारा 91 के तहत दस्तावेज के उत्पादन के लिए समन अदालत द्वारा जारी किया जा सकता है और एक लिखित आदेश के तहत एक थाना का प्रभारी अधिकारी भी इसे पेश करने का निर्देश दे सकता है। धारा 91 अभियुक्त को अपने बचाव को साबित करने के लिए अपने कब्जे में मौजूद दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नहीं देती है। धारा 91 यह मानती है कि जब दस्तावेज पेश नहीं किया जाता है तो उसे पेश करने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।”

77. इसके अलावा, **मरियम फसीहुद्दीन मामले (उपरोक्त)** के पैरा 22, 23, 24, 25, 33, 34 और 46 को पुनः उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“22. धारा 420 भा.दं.सं में यह प्रावधान है कि जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा खाने वाले व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या मूल्यवान सुरक्षा या किसी भी चीज़ के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जो हस्ताक्षरित या सीलबंद है, और जिसे मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे सात साल तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा, धारा 415 भा.दं.सं 'धोखाधड़ी' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। प्रावधान स्पष्ट करता है कि धोखाधड़ी या बेईमान इरादों से चिह्नित एक कार्य को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को प्रेरित करना है, या किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए सहमति देना है, जिससे उस व्यक्ति को नुकसान या हानि हो।

23. इसलिए यह सर्वोपरि है कि धारा 420 भा.दं.सं के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि ऐसा करके उसने उस व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया है, जिसे धोखा दिया गया है। इस प्रकार, इस अपराध के तीन घटक हैं, यानी, (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना, (ii) किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करना, और (iii) प्रलोभन देने के समय आरोपी की गलत मंशा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए, धोखाधड़ी और बेईमान इरादे उस समय से ही मौजूद होने चाहिए जब वादा या प्रतिनिधित्व किया गया था।

24. यह सर्वविदित है कि हर धोखेबाज़ी वाला कार्य गैरकानूनी नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे हर गैरकानूनी कार्य धोखेबाज़ी वाला नहीं होता। कुछ कार्यों को गैरकानूनी और धोखेबाज़ दोनों ही कहा जा सकता है, और ऐसे

कार्य अकेले ही धारा 420 भा.दं.सं के दायरे में आएंगे। यह भी समझना चाहिए कि तथ्य का कथन 'धोखाधड़ी' तब माना जाता है जब वह झूठा हो, और जानबूझकर या लापरवाही से इस इरादे से बनाया गया हो कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या हानि होगी। इसलिए, 'धोखाधड़ी' में आम तौर पर एक पूर्ववर्ती धोखेबाजी शामिल होती है जो किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान सुरक्षा के किसी हिस्से को देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करती है, जिससे प्रेरित व्यक्ति उक्त कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, जो वे प्रलोभन के बिना नहीं करते।

25. धारा 420 भा.दं.सं में प्रयुक्त शब्द 'संपत्ति' का एक सुपरिभाषित अर्थ है। प्रत्येक प्रकार का मूल्यवान अधिकार या हित जो स्वामित्व के अधीन है और जिसका विनिमय योग्य मूल्य है - उसे सामान्यतः 'संपत्ति' के रूप में समझा जाता है। यह किसी वस्तु को रखने, उपयोग करने और निपटाने के व्यक्ति के अनन्य अधिकार का भी वर्णन करता है। भा.दं.सं स्वयं 'चल संपत्ति' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है, ***"इसमें हर प्रकार की भौतिक संपत्ति शामिल है, सिवाय भूमि और पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तुओं या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं के।"*** जबकि अचल संपत्ति का सामान्यतः अर्थ भूमि, भूमि से होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी हुई या स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुओं से है।

33. धारा 468 भा.दं.सं के तहत 'जालसाजी' का अपराध यह मानता है कि जो कोई भी जालसाजी करता है, जिसका उद्देश्य यह है कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का इस्तेमाल धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे सात साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। जबकि धारा 471 भा.दं.सं में कहा गया है कि जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करता है, जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का

कारण है कि यह एक जाली दस्तावेज है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज को जाली बनाया हो।

34. 'जालसाजी' के अपराध को स्थापित करने के लिए दो प्राथमिक घटकों को पूरा करने की आवश्यकता है, अर्थात्: (i) कि अभियुक्त ने एक उपकरण गढ़ा है; और (ii) यह इस इरादे से किया गया था कि जाली दस्तावेज का इस्तेमाल धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो जालसाजी के अपराध में नुकसान या चोट पहुँचाने के बेईमान इरादे से झूठे दस्तावेज तैयार करना शामिल है।

46. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि 'धोखाधड़ी' और 'जालसाजी' के प्राथमिक तत्व स्पष्ट रूप से गायब हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।

78. रणधीर सिंह केस (उपरोक्त) के पैरा 27 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

"27. मोहम्मद इब्राहिम [मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009) 8 एससीसी 751: (2009) 3 एससीसी (क्रि) 929] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना: (एससीसी पृष्ठ 757-60, पैरा 19-24 और 27-30)

"19. धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त को बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए

(i) किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या

(ii) पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक मूल्यवान सुरक्षा (या हस्ताक्षरित या सील की गई कोई भी चीज़ और जो एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है) बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए।

20. जब किसी संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत क्रेता के लिए यह

आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का झूठा प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री मूल्य से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत क्रेता द्वारा नहीं की गई है। दूसरी ओर, क्रेता को सह-अभियुक्त बनाया गया है।

21. शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या किसी अन्य कार्य या चूक से धोखा देने की कोशिश की, न ही उसका यह मामला है कि उन्होंने उसे किसी संपत्ति को सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे रखने की सहमति देने या जानबूझकर उसे कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन दिया, जो वह नहीं करता या न करता अगर उसे धोखा न दिया जाता। न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि प्रथम अपीलकर्ता ने बिक्री विलेख निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का नाटक किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्त के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा या दूसरे अभियुक्त ने क्रेता होने के कारण, या तीसरे, चौथे और पांचवें अभियुक्त ने बिक्री विलेखों के संबंध में गवाह, मुंशी और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धोखा दिया।

22. चूंकि धारा 415 में वर्णित धोखाधड़ी के तत्व नहीं पाए गए, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संहिता की धारा 417, 418, 419 या 420 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध था।

स्पष्टीकरण

23. जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री विलेख का निष्पादन, किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसकी नहीं है, अपनी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करने का दावा करना, कोई झूठा दस्तावेज बनाना नहीं है और इसलिए जालसाजी नहीं है, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कृत्य

कभी भी आपराधिक अपराध नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वह संपत्ति उसकी नहीं है, कोई संपत्ति बेचता है और इस तरह संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, तो धोखा खाने वाला व्यक्ति, यानी खरीदार, शिकायत कर सकता है कि विक्रेता ने धोखाधड़ी का धोखाधड़ी वाला कार्य किया है। लेकिन कोई तीसरा पक्ष जो विलेख के तहत खरीदार नहीं है, ऐसी शिकायत नहीं कर सकता।

24. संहिता में "धोखाधड़ी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। "धोखाधड़ी" की शब्दकोश परिभाषा 'लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया धोखा, विश्वासघात या धोखाधड़ी' है। अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 अनुबंध के किसी पक्ष के संदर्भ में "धोखाधड़ी" को परिभाषित करती है।

*

*

*

27. शब्द "धोखाधड़ी से" का प्रयोग अधिकतर शब्द "बेईमानी से" के साथ किया जाता है जिसे धारा 24 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

24. "बेईमानी से" - जो कोई किसी व्यक्ति को गलत लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को गलत हानि पहुँचाने के इरादे से कुछ करता है, उसे "बेईमानी से" ऐसा करने वाला कहा जाता है।

28 [संपादन: पैरा 28 को आधिकारिक शुद्धिपत्र संख्या एफ.3/एड.बी.जे./149/2009 दिनांक 6-10-2009 के अनुसार संशोधित किया गया है।] "धोखाधड़ी" करना या धोखाधड़ी से कुछ करना दंड संहिता के तहत अपने आप में अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन धोखाधड़ी से (या धोखाधड़ी और बेईमानी से) किए गए विभिन्न कार्यों को अपराध माना जाता है। इनमें शामिल हैं:

- (i) संपत्ति को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना (धारा 206, 421 और 424)।
- (ii) जव्ती को रोकने के लिए संपत्ति पर धोखाधड़ी का दावा (धारा 207)।
- (iii) धोखाधड़ी से पीड़ित होना या डिक्री प्राप्त करना (धारा 208 और 210)।

- (iv) नकली सिक्के का धोखाधड़ी से कब्ज़ा/वितरण (धारा 239, 240, 242 और 243)।
- (v) सिक्के का धोखाधड़ी से परिवर्तन/वजन कम करना (धारा 246 से 253)।
- (vi) टिकटों से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण कार्य (धारा 255 से 261)।
- (vii) झूठे उपकरण/वजन/माप का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग (धारा 264 से 266)।
- (viii) धोखाधड़ी (धारा 415 से 420)।
- (ix) लेनदारों को ऋण उपलब्ध होने से धोखाधड़ी से रोकना (धारा 422)।
- (x) झूठे प्रतिफल कथन वाले हस्तांतरण विलेख का धोखाधड़ीपूर्ण निष्पादन (धारा 423)।
- (xi) जालसाजी, गलत दस्तावेज बनाना या निष्पादित करना (धारा 463 से 471 और 474)।
- (xii) मूल्यवान प्रतिभूति आदि को धोखाधड़ी से रद्द करना/नष्ट करना (धारा 477)।
- (xiii) धोखाधड़ी से विवाह समारोह सम्पन्न कराना (धारा 496)।

इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से काम करने का केवल आरोप लगाने या दिखाने से यह नहीं माना जा सकता कि उसने संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है, जब तक कि उस धोखाधड़ी वाले कार्य को संहिता या अन्य कानून के तहत अपराध के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो।

दंड संहिता की धारा 504

29. शिकायत में लगाए गए आरोप दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध के तत्वों को भी नहीं दर्शाते हैं। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने को संदर्भित करती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने बिक्री विलेखों के बारे में आरोपी 1 और 2 से

पूछताछ की, तो उन्होंने दावा किया कि वे बिक्री विलेखों के तहत भूमि पर कब्जा प्राप्त करेंगे और वह जो चाहे कर सकता है। अपीलकर्ता 1 और 2 के बयान को "शांति भंग करने के इरादे से अपमान" नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त के नाम से दिया गया बयान, भले ही वह सच हो, केवल प्रथम अपीलकर्ता द्वारा दूसरे अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेखों के निष्पादन के परिणाम का उल्लेख करने वाला बयान था।

निष्कर्ष

30. यदि शिकायत में दिए गए कथनों को सही माना जाए, तो वे धारा 420, 467, 471 और 504 के तहत कोई अपराध नहीं बनाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकने और धारा 323 भा.दं.सं के तहत चोट पहुंचाने के अपराध के तत्त्व दिखा सकते हैं।

79. संजय केस (उपरोक्त) के पैरा 69 से 72 को पुनः उद्धृत करना समीचीन

होगा, जो इस प्रकार है:

"69. धारा 22 में प्रयुक्त व्याख्या के सिद्धांतों और शब्दों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय में, यह प्रावधान नदी तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के लिए पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में नदियाँ अनियंत्रित रेत खनन की खतरनाक दर से प्रभावित हुई हैं, जो नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और पुलों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रही हैं। यह नदी तल, मछली प्रजनन को भी कमजोर करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। यदि राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों को नहीं रोका जाता है, तो इससे ऊपर बताए गए गंभीर परिणाम होंगे। यह न केवल नदी जल विज्ञान को बदल देगा, बल्कि भूजल स्तर को भी कम कर देगा।

70. एमएमडीआर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों और उसमें दिए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 4 और अधिनियम की अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि की जाती है, अधिनियम के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर की गई शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। धारा 4 और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है, जिसमें उक्त अधिनियम का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया हो। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अभियोजन चलाने पर तभी लागू होगा जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना हो, न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जो दंड संहिता के तहत अपराध बनता हो।

71. हालांकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिजों को निकालता है और उन खनिजों को राज्य के कब्जे से बेईमानी से हटाने के इरादे से गुप्त तरीके से उन खनिजों को हटाता है या परिवहन करता है, तो उसे दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है।

72. एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों और भा.दं.सं की धारा 378 के तहत परिभाषित अपराध को ध्यान से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अपराध के घटक अलग-अलग हैं। खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन या अधिनियम की

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन गतिविधि करना एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है, जबकि नदी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को, जो राज्य की संपत्ति है, राज्य की सहमति के बिना राज्य के कब्जे से बेईमानी से निकालना चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करके रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है और न ही रोका जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी जमीन से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(डी) के तहत संज्ञान लेने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतिम रिपोर्ट पेश कर सकती है।

80. और अंत में **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** के अनुपात को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 102 में देखा है, जैसा कि निम्नानुसार है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और

असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 156(1) के तहत जांच को उचित ठहराया जा सकता है, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू

करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।

81. इससे पहले सभी मुकदमे इस मुद्दे पर घूम रहे थे कि क्या दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम रखने योग्य है या नहीं, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के नियम-22 के साथ नियम-56 के तहत उपलब्ध प्रावधानों के मद्देनजर, जिसे अंततः इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि उसके दिनांक 09.02.2024 के आदेश के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम रखने योग्य है।

82. अब, निर्णय के लिए मुख्य और एकमात्र विचार यह रह गया है कि क्या भारतीय दंड संहिता के तहत कथित अपराध प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनते हैं या नहीं, जैसा कि विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से उठाया गया है, जो कि उपरोक्त रिट याचिकाओं का विषय है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के लिए

83. चोरी की मूल परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी का प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए निम्नलिखित कानूनी तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए:-

- (i) किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखना;
- (ii) किसी व्यक्ति के कब्जे से;
- (iii) उस व्यक्ति की सहमति के बिना;
- (iv) और उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

84. प्राथमिकियों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी का आरोप मुख्य रूप से इस कारण से लगाया गया था कि के-लाइसेंस साइट पर वास्तविक रूप से पाई गई रेत परियोजना निगरानी इकाई (संक्षेप में "पीएमयू") के आंकड़ों से कम थी। प्राथमिकियों से ही पता चलता है कि यह सितंबर से दिसंबर, 2021 के महीने के बीच दर्ज की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बंदोबस्त करने वालों का नाम, उनका पता और रेत की बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था। संग्रहीत रेत को बाड़ या तिरपाल से ढका नहीं पाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 378, 379, 406, 411, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकियों के अनुसार आरोप अवैध खनन या खनन योजना के बाहर किसी भी खनन के बारे में नहीं है। प्राथमिकी में आरोप अत्यधिक खनन के बारे में भी नहीं है। प्राथमिकियों के माध्यम से उठाया गया आरोप मात्र यह है कि प्राथमिकि दर्ज होने की तिथि पर वहां पाई गई रेत पीएमयू डेटा में दर्ज रेत से कम थी और इसे उचित रूप से संरक्षित और ढका नहीं गया था, जबकि धारकों के नाम, विवरण और बिक्री मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था।

85. मुख्य मुद्दों पर जाने से पहले, वर्तमान आपराधिक अभियोगों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना उचित होगा, जिन पर प्रतिवादियों द्वारा भी विवाद नहीं किया गया:-

- (i) वर्ष 2015 में की गई नीलामी के क्रम में वर्ष 2015 से 2019 तक बालू घाटों की बंदोबस्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं को दी गई।
- (ii) उपर्युक्त याचिकाकर्ताओं की बंदोबस्ती समय-समय पर बढ़ाई गई। सबसे पहले 01.01.2020 से 31.10.2020 तक, दूसरी बार 01.11.2020 से 31.12.2020 तक, तीसरी बार 01.01.2021 से 31.03.2021 तक और अंत में चौथी बार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक विस्तार दिया गया।

(iii) यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया।

(iv) याचिकाकर्ताओं ने 1 मई, 2021 को अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया।

(v) लाइसेंस सरेंडर करने के तुरंत बाद ई-चालान बनाना बंद कर दिया गया।

ई-चालान सरेंडर करने के पीछे कारण यह था कि कोविड-19 जैसी परिस्थितियों और 14 चक्का ट्रकों के प्रतिबंध और जुलाई, 2021 से के-लाइसेंस साइटों के कारण याचिकाकर्ताओं के लिए बंदोबस्ती आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी, सभी बालू घाटों को अधिकारियों ने वापस ले लिया और देखभाल और संरक्षण के लिए क्रमशः भोजपुर और पटना में स्थानीय पुलिस स्टेशनों और सर्किल अधिकारियों को सौंप दिया। जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी बंदोबस्ती सरेंडर की, तो संबंधित अधिकारियों ने 28,30,85,450/- रुपये की शेष रॉयल्टी की मांग की। और आगे पत्र संख्या 614 दिनांक 04.09.2021 से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने प्राथमिकि दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ताओं के के-लाइसेंस साइटों से रेत बेचना शुरू कर दिया था।

86. माना कि प्राथमिकि दर्ज होने के बहुत पहले यानी 3 से 4 महीने पहले ही याचिकाकर्ताओं को बालू घाटों से बेदखल कर दिया गया था, जो बंदोबस्त के तहत उनके पास थे और उन बालू घाटों पर कब्जा लेने के बाद, बालू को सुरक्षित रखने के लिए उनका कब्जा स्थानीय एसएचओ और संबंधित अंचल अधिकारियों/खनन विभाग को दे दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि प्राथमिकि के माध्यम से कथित तौर पर तिरपाल से ढका हुआ नहीं था या उस पर बाड़ नहीं लगाई गई थी, तो यह स्थानीय एसएचओ और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जिनके पास बालू का कब्जा था क्योंकि ऐसे सभी कृत्यों के लिए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक बार जब बालू घाटों पर कब्जा वापस ले लिया गया था। ऐसी परिस्थितियों

में, दर प्रदर्शित न करना, बंदोबस्तधारी (याचिकाकर्ता) का नाम बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है।

87. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवैध खनन या अत्यधिक खनन या अनुमत क्षेत्र/मानचित्र योजना से परे खनन चोरी है। इस प्रस्ताव की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय केस (उपरोक्त)** में की थी, लेकिन वर्तमान मामलों में प्राथमिकि के अनुसार ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता अवैध और अत्यधिक खनन में शामिल थे या उन्होंने अनुमत क्षेत्र से परे रेत का उत्खनन किया। यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार ने सितंबर, 2021 के पहले सप्ताह से विभिन्न के-साइटों से रेत की बिक्री शुरू कर दी थी, इसलिए प्राथमिकि दर्ज करने की तिथि पर रेत के किसी भी स्टॉक की कमी के लिए प्रतिवादी स्वयं जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।

88. इसलिए, उपलब्ध आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* चोरी का कोई अपराध बनता है।

धारा 406 भा.दं.सं के लिए भा.दं.सं की धारा 405 के तहत परिभाषित विश्वासघात

89. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्राथमिकि दर्ज करने से बहुत पहले रेत को जब्त कर लिया गया था और स्थानीय पुलिस और सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया था, यानी जुलाई, 2021 से, और इसलिए, भा.दं.सं की धारा 405 के तहत किए गए अपराध के लिए कोई मामला बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, जो भा.दं.सं की धारा 406 के तहत दंडनीय है।

धारा 411 भा.दं.सं के लिए:

90. प्राथमिकि से यह आरोप इस प्रकार का नहीं लगता कि याचिकाकर्ता किसी भी समय किसी भी संपत्ति को यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए अपने पास रखता है कि वह चोरी की संपत्ति है।

धारा 414 भा.दं.सं के लिए:

91. रेत को छुपाने, निपटाने या हटाने में स्वेच्छा से सहायता करने का आरोप भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.सं की धारा 414 के तहत मामला बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है।

धारा 420 भा.दं.सं के लिए:

92. जहां तक धोखाधड़ी का सवाल है, याचिकाकर्ता वर्ष 2014 में आयोजित नीलामी के तहत रॉयल्टी की भारी राशि का भुगतान करने के बाद पटना, भोजपुर और सारण जैसे तीन अलग-अलग जिलों के बालू घाटों के वैध बंदोबस्तधारी थे। कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, 01.01.2020 से 31.10.2020 तक चार अलग-अलग अवसरों पर, फिर 01.11.2020 से 31.12.2020 तक, तीसरी बार 01.01.2021 से 31.03.2021 तक और चौथा विस्तार 01.04.2021 से 30.09.2021 तक दिया गया था, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निपटान बढ़ाया गया था, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं का व्यवसाय वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं रह पाया, तो मई, 2021 में इसे सरेंडर कर दिया गया और उसके बाद, शेष अवधि के लिए प्रतिवादियों द्वारा 28,30,85,450/- रुपये की बकाया रॉयल्टी की मांग की गई। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं का शुरू से ही छह साल के अपने लंबे निपटान कार्यकाल में संबंधित अधिकारियों को धोखा देने का इरादा था।

93. इसलिए, किसी भी विवेकपूर्ण कल्पना से, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं लगता है।

94. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 15.05.2023 को आपराधिक विविध संख्या 8423/2023 में पारित आदेश के तहत माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता सदाशिव प्रसाद को अग्रिम जमानत प्रदान की है, जो मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी मुख्य अधिकारी थे, जिसमें खान विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंदोबस्त 01.05.2021 को सरेंडर किया गया था और इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें आगे कहा गया है कि स्टॉक सरेंडर किए जाने के बाद, बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से उन स्टॉक को बेचने के लिए कदम उठाए गए थे और आगे सरेंडर के बाद संबंधित थाना के प्रभारी अधिकारी को स्टॉक प्वाइंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था और यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि कोई चोरी न हो। आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें स्टॉक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।

95. यह विवाद भी सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि विस्तारित अवधि के लिए भुगतान न की गई रॉयल्टी राशि की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारी/प्रतिवादियों ने बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत पूर्वोक्त पैराग्राफ संख्या 38 में उल्लिखित प्रमाण पत्र मामला दायर किया है।

96. उपरोक्त कानूनी चर्चाओं, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और पिछले पैराग्राफ में वर्णित प्रामाणिक प्रकृति के दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और यह मामला **भजन लाल केस (उपरोक्त)** के माध्यम से उपलब्ध स्वर्णिम मार्गदर्शक सिद्धांतों संख्या 1, 2, 3, 5 और 7 के अंतर्गत आता है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्राथमिकी को इसके सभी परिणामी

कार्यवाही के साथ रद्द/अलग किया जाता है, जो कि उपरोक्त रिट याचिकाओं का विषय है।

97. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

98 .इस निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।